1.वर्ष 2023-24 के मृतक जमाकर्ताओं के दावों के लिए निपटान नीति एवं सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं की वापसी

2. गुमशुदा व्यक्तियों के दावों के लिए निपटान की नीति 2023-24.

परिचय

मृतक दावों के मामले में कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संयुक्त खाते या मृत जमाकर्ता द्वारा छोड़ी गई वसीयत के संबंध में नामांकन या स्पष्ट आदेश के अभाव में, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खाताधारक की मृत्यु के समय सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान करें। दावों के निपटान में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बैंक पारंपरिक रूप से कानूनी प्रतिनिधित्व (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट आदि के रूप में) की तलाश करते थे। मृत खातों में दावों के निपटान में कठिनाइयों को दूर करने के लिए संयुक्त खातों में परिचालन अधिदेश प्राप्त करने की प्रणाली एक बैंकिंग अभ्यास के रूप में उभरी। इसके बाद, बैंक जमा, सुरक्षित जमा लॉकर और लेखों की सुरक्षित अभिरक्षा में नामांकन सुविधा प्रदान करने के लिए 1985 के क़ानून में संशोधन किया गया। तथापि, चूँकि नामांकन सुविधा जमाकर्ता के विवेक पर वैकल्पिक है और कभी-कभी नामांकित व्यक्ति खाताधारक की मृत्यु से पहले ही हो जाता है, मृत दावों के निपटान में समस्याएँ और कठिनाइयाँ बनी रहती हैं। बैंकों के मृत घटकों की जमा राशि, वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा या लॉकरों की सामग्री के संबंध में कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों के निपटान में देरी से आश्रित कानूनी उत्तराधिकारियों को काफी कठिनाई होती है।

शाखा स्तर पर ग्राहकों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, परिचालन विभाग ने विभाग द्वारा जारी परिपत्र, नियामक प्राधिकारी जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड और भारतीय बैंक संघ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर इस नीति में मृतक दावे के निपटान से संबंधित सभी प्रावधानों को अद्यतन और समेकित किया है।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं
अध्याय 1	मृतक निपटान का मुख्य विवरण	3
दूसरा अध्याय	नामांकन सुविधा/उत्तरजीवी अधिदेश/समयपूर्व के लाभों पर ग्राहकों को मार्गदर्शन	4-5
अध्याय III	प्रत्यायोजित शक्तियाँ	6

अध्याय चतुर्थ	विभिन्न प्रकार के खातों में दावों का निपटान	7-10
अध्याय वी	सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री में दावों का निपटान	11-18
अध्याय VI	गुमशुदा व्यक्ति के दावों का निपटान	19
अध्याय सातवीं	मृत जमाकर्ताओं के खातों में दावों के निपटान के लिए चेक प्वाइंट	20
अध्याय आठ	अन्य महत्वपूर्ण पहलू	21
अध्याय IX	'वसीयत' मामले में दावे का निपटान	22
अध्याय X	कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में कानून के प्रावधान	23-25
	अनुबंध	
ए-1	नामांकन नियमों में प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण	26
ए-1(ए)	विभिन्न प्रकार के जमा खातों/सुरक्षित जमा लॉकरों में दावों का निपटान तालिका 1 से तालिका 6 तक	27-30
ए -2	दस्तावेज़ों की जाँच-सूची।	31
ए-3	नामांकन के साथ मृतक दावे के लिए आवेदन	32
ए-4	सीमा के भीतर मृतक के दावे के लिए आवेदन (नामांकन/उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा)	33-34
ए-5	शपथ पत्र सह क्षतिपूर्ति पत्र	35-36
ए-4ए	सीमा से ऊपर मृतक के दावे के लिए आवेदन (नामांकन/उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा)	37-41
ए-5ए	क्षतिपूर्ति पत्र (सीमा से ऊपर)	42-43
ए-5बी	शपथ पत्र (सीमा से ऊपर)	44-45
ए -6	रसीद	46
ए-7	सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र (नामांकन के साथ)	47-48
ए-7(ए)	सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र (नामांकन के बिना)	49-51
ए-8	बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र (नामांकन के साथ)	52
ए-8 (ए)	बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र (नामांकन के बिना)	53-54
ए-9	विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत कानूनी उत्तराधिकारी	55-56

अध्याय I - मृतक निपटान का मुख्य विवरण

- थ्रेशहोल्ड लिमिट के अंतर्गत दावा

परिपत्र पत्र संख्या 08 दिनांक 08/06/2021 के माध्यम से कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान थ्रेशहोल्ड लिमिट को 25000/- रुपये से बढ़ाकर 100000/- रुपये कर दिया गया था। "बिना नामांकन/उत्तरजीवी खंड" के दावों के शीघ्र निपटान के लिए 1,00,000 रुपये की बढ़ी हुई सीमा जारी रखी जा रही है।

जब दावे की राशि रु. 100000/- की सीमा के भीतर है, तो जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण/कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार का प्रमाण और क्षतिपूर्ति-सह-शपथ पत्र का एक पत्र सुनिश्चित करने के बाद दावे का निपटान कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा (अनुलग्नक-5 के अनुसार) निष्पादित किया जाना है। जमाकर्ता की मृत्यु के तथ्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों के विवरण का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है (अर्थात् संयुक्त रूप से देय परिचालन निर्देशों के साथ), जहां एक या अधिक खाताधारक की मृत्यु हो गई है और अन्य जीवित हैं और देय राशि थ्रेशहोल्ड लिमिट के भीतर है, तो दावे का निपटान किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से ही, सिवाय इस बदलाव के कि दस्तावेजों को मृत जमाकर्ताओं और जीवित जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित उनमें से किसी एक) द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

- थ्रेशहोल्ड लिमिट **से ऊपर के दावे** :-

जहां दावे की राशि रु. 100000/- की सीमा से ऊपर है, वहां जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण/कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का पता लगाने के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -

- अनुलग्नक - 5 ए के अनुसार पर्याप्त मूल्य की दो जमानतदारों के साथ सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित क्षतिपूर्ति पत्र
- सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शपथ पर घोषणा अनुबंध-5बी के अनुसार विधिवत नोटरीकृत

यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है (अर्थात संयुक्त रूप से देय परिचालन निर्देशों के साथ), जहां एक या अधिक खाताधारक की मृत्यु हो गई है और अन्य जीवित हैं और देय राशि थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर है, तो दावे का निपटान किया जाएगा। ऊपर बताए गए तरीके से ही, सिवाय इस बदलाव के कि दस्तावेजों को मृत जमाकर्ताओं और जीवित जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित उनमें से किसी एक) द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

अध्याय II - ग्राहकों को नामांकन के लाभों पर मार्गदर्शन सुविधा/उत्तरजीवी अधिदेश

नीति दस्तावेज़ का उद्देश्य जमाकर्ताओं के बीच बैंकों द्वारा दी जाने वाली नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ संयुक्त नामों में खाते खोले जाने पर "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आदि जैसे परिचालन जनादेश देने के लाभों के बारे में अधिक जागरूक करना है।

2.1.1. नामांकन सुविधा

- खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में दावों के निपटान में आम व्यक्ति को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए नामांकन सुविधा एक आदर्श माध्यम है।
- नामांकन सुविधा मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि बैंकों को जमाकर्ता की मृत्यु के समय उसके खाते में बकाया शेष राशि का भुगतान करने या लॉकर की वस्तुएं या सुरक्षित हिरासत में रखे गए लेखों को नामांकित व्यक्ति को सौंपने से कानूनी रूप से मुक्ति मिलती है। .
- बैंक ग्राहकों के लिए नामांकन वैकल्पिक है। इसलिए, यह आवश्यक है कि नामांकन सुविधा को लोकप्रिय बनाया जाए और ग्राहकों को जमा खाता खोलते समय या लॉकर चुनते समय इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाए।
- आरबीआई की शर्तों के अनुसार, जब तक ग्राहक नामांकन नहीं करना चाहता, तब तक नामांकन सभी मौजूदा और नए खातों को कवर करने का नियम होना चाहिए।
- शाखाओं को जमा खाता खोलते समय नामांकन के लिए आग्रह करना होगा। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामांकन भरने से इनकार करता है, तो उसे नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- यदि वह अभी भी नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती है, तो शाखा को उससे इस आशय का एक विशिष्ट पत्र देने के लिए कहना चाहिए कि वह नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती है।
- यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति इस तरह का पत्र देने से इनकार करता है, तो शाखा खाता खोलने के फॉर्म पर तथ्य दर्ज करेगी और अन्यथा पात्र पाए जाने पर खाता खोलने के लिए आगे बढ़ेगी।
- किसी भी परिस्थिति में, शाखा को केवल इस आधार पर खाता खोलने से इंकार नहीं करना चाहिए कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामांकन करने से इनकार कर दिया है।
- एकल स्वामित्व चिंताओं के मामले में जमा खातों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

- नामांकन को नियंत्रित करने वाला नियम प्रदान करता है:-
    - नामांकन सुविधा एकल खाताधारक, संयुक्त खाताधारक और एकल स्वामित्व खातों के लिए उपलब्ध है।
    - जमा खाते के लिए केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है, चाहे वह परिचालन संबंधी निर्देशों के बावजूद अकेले या संयुक्त रूप से रखा गया हो।
    - संयुक्त रूप से संचालित लॉकर के लिए एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन नामांकित व्यक्तियों की संख्या लॉकर धारकों से अधिक नहीं हो सकती है।
    - किसी नाबालिग के खाते को संचालित करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त व्यक्ति नाबालिग की ओर से नामांकन दाखिल कर सकता है।
    - एक नामांकित व्यक्ति किसी एसोसिएशन, ट्रस्ट या किसी अन्य संगठन या उसकी आधिकारिक क्षमता में कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति के अलावा अन्य का नामांकन मान्य नहीं होगा.
    - एचयूएफ जमा खातों में नामांकन नहीं हो सकता है ।
    - संयुक्त जमा खाते के मामले में, नामांकित व्यक्ति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है।
    - जमाकर्ताओं को यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नामांकन केवल मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है और नामांकन सुविधा मृतक की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों को नहीं छीनती है। नामांकित व्यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से बकाया राशि प्राप्त होगी।
- नामांकन फॉर्म में गवाह - नियम अनुसार खाताधारक के केवल अंगूठे के निशान को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। अन्य खाताधारकों के हस्ताक्षरों को गवाहों द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।

2.1.2 उत्तरजीवी अधिदेश--व्यक्तियों के नाम पर बचत और चालू खाते

- यदि सह-खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "कोई भी या उत्तरजीवी" या "पूर्व व्यक्ति या उत्तरजीवी" या "बाद वाला या उत्तरजीवी" के रूप में खोला गया एक संयुक्त खाता जीवित खाताधारक(ओं) को निकासी के लिए खाते में क्रेडिट शेष तक निर्बाध पहुंच की अनुमति देगा।
- यदि उत्तरजीविता के संयुक्त खाते में अधिदेश दिया/प्रदान किया गया है, तो उत्तरजीवी बैंक को "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी"/"कोई भी या उत्तरजीवी" और "पूर्व या उत्तरजीवी"/ "बाद में या उत्तरजीवी" के मामले में क़ानूनी रूप से मुक्ति दे सकता है।
- संक्षेप में, उत्तरजीवी(यों) को भुगतान सामान्य तरीके से किया जा सकता है, बशर्ते कि पृष्ठ संख्या 22 में तालिका 1 और तालिका 2 के अनुसार बैंक को ऐसा भुगतान करने से रोकने के लिए किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश न हो।

2.1.3. उत्तरजीवी अधिदेश--व्यक्तियों के नाम पर सावधि जमा खाते।

- कृपया पृष्ठ 23 और 24 में तालिका 3, तालिका 4 और तालिका 4(ए) देखें।

2.2. ग्राहकों को समय से पहले टर्म डिपॉज़िट समाप्ति की सुविधा के लिए मार्गदर्शन :

शाखाओं को निम्नलिखित प्रावधानों के बारे में खाताधारकों के ध्यान में लाने की सलाह दी जाती है -

- परिचालन निर्देश ई/एस या एफ/एस के साथ समय से पहले भुगतान की स्थिति में, जमा रसीद पर सभी जमा धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- केवल संयुक्त मृत धारकों के जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों की सहमति से सावधि जमा के समयपूर्व समाप्ति की जाएगी.
- यदि अधिदेश पूर्व व्यक्ति या उत्तरजीवी है, तो दोनों जमाकर्ताओं के जीवित रहने पर पूर्व व्यक्ति अकेले ही सावधि/सावधि जमा की परिपक्व राशि का संचालन/निकासी कर सकता है। यदि पूर्व व्यक्ति सावधि/सावधि जमा की परिपक्वता से पहले समाप्त हो जाती है, तो उत्तरजीवी परिपक्वता पर जमा राशि निकाल सकता है।
- यदि जमाकर्ताओं ने खाता खोलने के फॉर्म के पेज 3 के अनुसार विशेष आदेश दिया है, तो एकल जमाकर्ता के अनुरोध पर समयपूर्व भुगतान/ऋण की अनुमति दी जा सकती है जिसके पक्ष में तालिका 3, 4 और 4 (ए) के अनुसार आदेश पृष्ठ 23 और 24 में दिया गया है।

यदि जमा राशि 5 लाख रुपये या उससे कम है एवं जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में किसी भी राशि के लिए समयपूर्व निकासी पर सामान्य मामले में कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।

अध्याय III - प्रत्यायोजित शक्तियाँ

3.1	**मृतक दावे का निपटान**	
	अधिकार	
	शाप्र (स्केल- II)	2,00,000
	शाप्र (स्केल-III)	3,00,000
	शाप्र (स्केल-IV)	5,00,000
	क्षेत्रीय प्रमुख (वी/वीआई) एवं एजीएम-इ	पूर्ण शक्तियाँ

3.2	**गुमशुदा व्यक्ति के दावे का निपटान**	
	शाप्र (स्केल- II)	1,00,000
	शाप्र (स्केल-III)	2,00,000
	शाप्र (स्केल-IV)	3,00,000
	क्षेत्रीय प्रमुख (वी/वीआई) एवं एजी	पूर्ण शक्तियाँ

अध्याय IV - विभिन्न प्रकार के खातों में दावों का निपटान

4.1. नामांकन के साथ या नामांकन के बिना एकल खाता

4.1.1.बचत खाता/चालू खाता

4.1.2. नामांकन के साथ

नामांकन के मामले में, बकाया राशि का भुगतान शाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा, बशर्ते कि -

- आवेदन-अनुलग्नक-3
- जमाकर्ता/ओं की मृत्यु का प्रमाण और
- बैंक की संतुष्टि के लिए दावेदारों की उपयुक्त पहचान

बशर्ते सक्षम न्यायालय द्वारा बैंक को मृतक के खाते से भुगतान करने से रोकने का कोई आदेश न हो।

4.1.3. नामांकन के बिना

नामांकन के बिना होने की स्थिति में, मृतक खाते का भुगतान तय कर दिया जाएगा प्रतिनिधियों द्वारा अध्याय III में दी गई अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन-

- जमाकर्ता/ओं की मृत्यु का प्रमाण और
- बैंक की संतुष्टि के लिए उपयुक्त दावेदारों की पहचान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगी
- यदि थ्रेश्होल्ड लिमिट के भीतर है तो अनुबंध-4, अनुबंध-5, अनुबंध-6
- यदि थ्रेश्होल्ड लिमिट से ऊपर है तो अनुबंध-4ए, अनुबंध 5-ए, अनुबंध 5-बी, अनुबंध-6

4.1.4 सावधि जमा खाता (परिपक्वता पर या परिपक्वता से पहले)

4.1.5. नामांकन के साथ

नामांकित व्यक्ति को शाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना आवेदन (अनुलग्नक-3) और उसकी पहचान का सत्यापन जैसे कि चुनाव आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण आदि जमा की परिपक्वता पर या उस से पहले, उपलब्ध कारवाने पर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

4.1.6. नामांकन के बिना

बकाया शेष का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा बताए गए अनुसार उनमें से किसी एक को) प्रतिनिधियों द्वारा अध्याय III में दी गई उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतरकानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार का सत्यापन और जमा राशि की परिपक्कता पर या परिपक्कता से पहले जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण औरदस्तावेजों का उत्पादन (अर्थात अनुबंध-4, अनुबंध-5, अनुबंध-6 - सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुबंध-4ए, अनुबंध 5-ए, अनुबंध 5-बी और अनुबंध-6- सीमा सीमा से ऊपर दावा राशि के लिए)।

4.2. संयुक्त खाता जिसमें परिचालन निर्देश "संयुक्त रूप से संचालित" के **नामांकन** साथ या उसके बिना हों

4.2.1. बचत खाता/चालू खाता/सावधि जमा खाते (परिपक्कता से पहले या आगे)। **परिपक्कता)**

4.2.2. नामांकन के साथ

- संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, ब्याज के साथ बकाया शेष का भुगतान उत्तरजीवी (ओं) और मृत संयुक्त खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी एक) को संयुक्त रूप से किया जाएगा। सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) प्रतिनिधियों द्वारा उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर (अनुलग्नक-4, अनुलग्नक-5, और अनुलग्नक-6 - सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुलग्नक-4ए, अनुलग्नक-5ए, अनुलग्नक-5बी और अनुबंध-6- कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण पर (सीमा सीमा से ऊपर दावा राशि के लिए)।

- दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ताओं की मृत्यु के समय बकाया राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को उसकी पहचान के सत्यापन पर अनुबंध-3 में उनके आवेदन के विरुद्ध शाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना किया जाएगा। जैसे चुनाव पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि और जमाकर्ताओं की मृत्यु का प्रमाण।

4.2.3. नामांकन के बिना

- संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान उत्तरजीवी (ओं) और मृतक संयुक्त खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी एक को अनिवार्य रूप से) को संयुक्त रूप से किया जाएगा। सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा) प्रतिनिधियों द्वारा उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर (अनुलग्नक-4, अनुलग्नक-5 और अनुलग्नक-6 - सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुलग्नक-4ए, अनुलग्नक-5ए, अनुलग्नक-5बी और अनुलग्नक- 6- कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण पर (सीमा सीमा से ऊपर दावा राशि के लिए)।

- दोनों/सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष राशि का भुगतान सभी मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित

उनमें से किसी एक) को उनके प्रत्यायोजित प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उनके आवेदन के विरुद्ध शक्तियां (अनुलग्नक-4, अनुबंध-5 और अनुबंध-6 - सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुबंध-4ए, अनुबंध-5ए, अनुबंध-5बी और अनुबंध-6 - सीमा सीमा से ऊपर दावा राशि के लिए) पर कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार का सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु का प्रमाण।

4.3. संयुक्त खाता जनादेश के साथ "कोई एक या उत्तरजीवी"/ "पूर्व या उत्तरजीवी"/" कोई भी या

उत्तरजीवी"/"उत्तरजीवी या उत्तरजीवी"- नामांकन के साथ या नामांकन के बिना:

4.3.1 बचत खाता/चालू खाता

4.3.2 नामांकन के साथ

- जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर उत्तरजीवी को बकाया शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

- दोनों/सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, उनके आवेदन के विरुद्ध शाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना नामांकित व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।परिशिष्ट-3 में उसकी पहचान जैसे चुनाव पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि का सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु का प्रमाण।

4.3.3. नामांकन के बिना

- जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर उत्तरजीवी को बकाया शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

- दोनों/सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष राशि का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से उनमें से किसी एक) को उनके संयुक्त दावे के खिलाफ उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा (अनुलग्नक) -4, अनुबंध-5, और अनुबंध-6- सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुबंध-4ए, अनुबंध-5ए, अनुबंध-5बी और अनुबंध-6- कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन पर सीमा सीमा से ऊपर दावा राशि के लिए) और जमाकर्ताओं की मृत्यु का प्रमाण।

4.4.1 सावधि जमा खाता (संयुक्त खाता जिसमें "कोई एक या उत्तरजीवी"/ "पूर्व या उत्तरजीवी" अनिवार्य हो) उत्तरजीवी"/"कोई भी या उत्तरजीवी"/"उत्तरजीवी या उत्तरजीवी") - नामांकन साथ या नामांकन बिना: "परिपक्वता पर"

4.4.2. नामांकन के साथ:

- जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर या जमा खोलने के समय सहमति के अनुसार उत्तरजीवी को बकाया शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। जमा का.

- सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को उसकी पहचान (जैसे चुनाव आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जैसे चुनाव आईडी

कार्ड, पैन कार्ड) के सत्यापन पर अनुबंध-3 में उनके आवेदन के विरुद्ध शाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना किया जाएगा। पासपोर्ट इत्यादि) और जमा की परिपक्वता पर या जमा खोलने के समय सहमति के अनुसार जमाकर्ताओं की मृत्यु का प्रमाण.

4.4.3. नामांकन के बिना:

- जमाकर्ताओं में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया जमा शेष राशि का भुगतान जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर जमा की परिपक्वता पर या खाता खोलने के समय सहमति के अनुसार जीवित बचे लोगों को किया जाएगा।

- सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष राशि का भुगतान सभी मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों (या संयुक्त धारकों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य उनमें से किसी एक) को उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं (अनुलग्नक-4, अनुलग्नक-5 और अनुलग्नक-6- सीमा सीमा के भीतर दावा राशि के लिए और अनुलग्नक-4ए, अनुलग्नक-5ए, अनुलग्नक-5बी और अनुलग्नक-6- सीमा सीमा से अधिक दावा राशि के लिए) कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार के सत्यापन और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण पर।

4.5.1. सावधि जमा खाते की समयपूर्व समाप्ति (अधिदेश के साथ संयुक्त खाता)। "कोई एक या उत्तरजीवी"/ "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी"/"कोई भी या उत्तरजीवी"/"बाद वाला या उत्तरजीवी") - नामांकन के साथ या उसके बिना: "परिपक्वता से पहले"

4.5.2 नामांकन के साथ

- जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी को सावधि जमा खाते की समयपूर्व समाप्ति की मांग करने का अधिकार केवल तभी होगा जब उक्त उद्देश्य के लिए जमाकर्ताओं से विशिष्ट संयुक्त आदेश प्राप्त किया गया हो। जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का विषय सत्यापन।

- सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को सावधि जमा खाते को समय से पहले समाप्त करने की मांग करने का अधिकार होगाशाखा स्तर पर राशि की परवाह किए बिना,उनकी पहचान जैसे कि चुनाव आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि के सत्यापन और जमाकर्ताओं की मृत्यु के प्रमाण पर अनुबंध -3 में उनके आवेदन के खिलाफ।

4.5.3 नामांकन के बिना

- जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी को सावधि जमा खाते की समयपूर्व समाप्ति की मांग करने का अधिकार केवल तभी होगा जब उक्त उद्देश्य के लिए जमाकर्ताओं से विशिष्ट संयुक्त आदेश प्राप्त किया गया हो। जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का विषय सत्यापन।

- सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, मृत जमाकर्ताओं के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य उनमें से किसी एक) के संयुक्त अनुरोध के विरुद्ध समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी। प्रतिनिधियों द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर उनके संयुक्त दावे के विरुद्ध (अनुलग्नक-4, अनुबंध-5 और अनुबंध-6 - थेशहोल्ड लिमिट के भीतर दावा राशि के लिए और अनुबंध-4ए, अनुबंध-5ए, अनुबंध-5बी - थेशहोल्ड लिमिट से ऊपर दावा राशि के लिए) कानूनी प्राधिकार के सत्यापन पर जमाकर्ताओं के उत्तराधिकारी और मृत्यु का प्रमाण।

अध्याय V - सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री में दावों का निपटान

ए . <u>नामांकन के साथ लॉकर खाते</u>

बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 जेड ई और , सुरक्षित जमा लॉकर के मामले में नामांकन सुविधाएं प्रदान करती हैं । (अनुलग्नक क्र-13 **से** क्र- 17)।

1) **<u>धारा 45-जेडई: सुरक्षित जमा लॉकरों की सामग्री को जारी करना</u>** -

ए) जहां कोई व्यक्ति बैंक से लॉकर का एकमात्र किरायेदार है, चाहे ऐसा लॉकर ऐसे बैंक के सुरक्षित जमा वॉल्ट में स्थित हो या कहीं और, ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, जिसे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, बैंकिंग कंपनी लॉकर तक पहुंच दे सकती है और लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दे सकती है।

बी) जहां ऐसा कोई लॉकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से बैंक से किराए पर लिया जाता है और किराये के अनुबंध के तहत, लॉकर को दो या अधिक ऐसे किराएदारों के संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित किया जाना है, ऐसे किराएदार एक या अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं जिनके लिए ऐसे संयुक्त किरायेदार या किरायेदार की मृत्यु की स्थिति में, बैंकिंग कंपनी जीवित संयुक्त किरायेदार या संयुक्त किरायेदार के साथ संयुक्त रूप से, जैसा भी मामला हो, लॉकर तक पहुंच और ऐसे लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दे सकती है।

सी) उप-धारा (ए) या उप-धारा (बी) के तहत प्रत्येक नामांकन निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

डी) बैंक किसी भी लॉकर की सामग्री को किसी नामांकित व्यक्ति द्वारा या संयुक्त रूप से किसी नामित व्यक्ति और शेष बचे लोगों द्वारा हटाने की अनुमति देने से पहले, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देशित तरीके से एक सूची (अनुलग्नक एसएल-12) तैयार करेगा। लॉकर की सामग्री पर ऐसे नामांकित व्यक्ति द्वारा या ऐसे नामांकित व्यक्ति और उत्तरजीवियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस प्रकार तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति और उत्तरजीवी को वितरित की जाएगी।

ई) किसी भी नामांकित व्यक्ति द्वारा या किसी नामांकित व्यक्ति और उत्तरजीवी द्वारा संयुक्त रूप से किसी भी लॉकर की सामग्री को हटाने पर, लॉकर की सामग्री के संबंध में बैंक का दायित्व समाप्त हो जाएगा।

एफ) उप-धारा(ए) या उपधारा (बी), जैसा भी मामला हो के प्रावधानों के अनुसरण में, किसी लॉकर तक पहुंच की अनुमति देने और ऐसे लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता के लिए किसी भी नुकसान के लिए या होने की संभावना के लिए बैंकिंग कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

2) **<u>धारा 45-जेडएफ</u>** : लॉकर किराए पर लेने वाले या किराए पर लेने वालों के अलावा किसी भी व्यक्ति के दावे का कोई नोटिस बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा और न ही बैंक ऐसे किसी नोटिस से बाध्य होगा, भले ही उसे स्पष्ट रूप से दिया गया हो:-

बशर्ते कि जहां लॉकर या उसकी सामग्री से संबंधित किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से कोई डिक्री, आदेश, प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकार बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बैंक ऐसे डिक्री, आदेश या प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकारी पर उचित ध्यान देगा।

3) धारा 45ZE किसी नाबालिग को लॉकर की सामग्री की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नामांकित होने से रोकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में शाखाओं की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि जब नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से लॉकर की सामग्री को हटाया जाना है, तो वस्तुओं को एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए, जो कानून के अनुसार नाबालिग की ओर से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सक्षम है।

4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र DBOD No.Leg.634/C.233A-86 दिनांक 30.05.86 के माध्यम से सलाह दी है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधान परिचालन निर्देशों के साथ संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर की सुविधा के नामांकन के विस्तार पर रोक नहीं लगाते हैं, " कोई एक अथवा उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती अथवा उत्तरजीवी", लेकिन एक से अधिक नामांकित व्यक्ति बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए परिचालन निर्देश, "कोई एक अथवा उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती अथवा उत्तरजीवी" खाता वाले लॉकर के मामले में **एक नामांकित व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है ।** हालाँकि सभी लॉकर किराए पर लेने वालों की मृत्यु के बाद ही नामांकित व्यक्ति को सामग्री मिलेगी। (अनुलग्नक एसएल-14 को उचित रूप से बदला जा सकता है)

5) नामांकन या नामांकन रद्द करना या नामांकन में बदलाव किसी भी समय लॉकर धारक द्वारा या सभी लॉकर धारकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकता है, जैसा भी मामला उस अवधि के दौरान हो सकता है जब लॉकर किराये पर है। (कृपया रद्द करने के लिए फॉर्म एसएल-15 और एकमात्र किराएदार द्वारा बदलाव के लिए फॉर्म एसएल-16 और संयुक्त किराएदार द्वारा किए जाने वाले बदलाव के लिए फॉर्म एसएल-17 का उपयोग करें)।

6) **<u>अन्य सामान्य निर्देश</u>** - नामांकित व्यक्ति को सुरक्षित जमा लॉकर में वस्तुओं की डिलीवरी के मामले में, ऐसी वस्तुओं की उचित सूची निर्धारित फॉर्म एसएल -18 में ली जानी चाहिए। रिलीज करते समय बैंक को लॉकर में मिले सीलबंद/बंद पैकेट को खोलने की आवश्यकता नहीं है

बी. बिना नामांकन के लॉकर खाते

1) नामांकन के बिना सुरक्षित जमा लॉकर (एकल परिचालन) :

सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से एक पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें बैंक से अनुरोध किया जाए कि वे इन्वेंट्री के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति में लॉकर खोलें और सामान उसी लॉकर में वापस रखें। एक बार मूल्यांकन आ जाने के बाद, इन्वेंट्री के आधार पर, शाखा मंजूरी के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

ए) इसके बाद, यदि मूल्यांकन रु.100000/- या उससे कम (प्रारम्भिक(threshold) सीमा के भीतर) दावे का निपटान जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण/कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार और अनुबंध-5 के अनुसार क्षतिपूर्ति-सह-शपथ पत्र कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। जमाकर्ता की मृत्यु के तथ्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों के विवरण का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।

बी) यदि मूल्यांकन रुपये 100000/- की सीमा से ऊपर है तो जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण / कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का पता लगाने के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज लेने होंगे-

- **क्षतिपूर्ति पत्र** पर्याप्त मूल्य की दो जमानतदारों के साथ सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अनुलग्नक एसएल-27 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।
- **शपथ पर घोषणा** सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनुबंध एसएल-28 के अनुसार विधिवत नोटरीकृत किया जाए।

सी) मृत लॉकर किराएदार के कानूनी उत्तराधिकारियों या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अधिदेशित व्यक्ति को लॉकर तक पहुंचने और लॉकर किराएदार की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी। कानूनी उत्तराधिकारियों को अपनी पहचान देने करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री को हटाने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुमति देने से पहले, बैंक कानूनी उत्तराधिकारी/अधिकार धारक और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची (अनुलग्नक एसएल -18 ए देखें) तैयार करेगा ।

2) सुरक्षित जमा लॉकर के परिचालन संबंधी निर्देश "कोई एक या उत्तरजीवी" या कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी (नामांकन के बिना)

ए) संयुक्त किरायेदारों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जीवित किरायेदारों को लॉकर तक पहुंचने और संयुक्त किरायेदार (ओं) की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी ।

बी) सभी लॉकर किराएदारों की मृत्यु की स्थिति में, मृत संयुक्त किराएदारों के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उनमें से किसी एक को नामांकित) को कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार और लॉकर के किराएदार के मृत्यु का प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात लॉकर तक पहुंचने और

सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी। जीवित किरायेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों को सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री निकालने की अनुमति देने से पहले, बैंक जीवित किरायेदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और दो स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची (अनुलग्नक एसएल -18ए देखें) तैयार करेगा।

3) **<u>सुरक्षित जमा लॉकर के परिचालन संबंधी निर्देश "संयुक्त रूप से" (नामांकन के बिना)</u>**

सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से एक पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें बैंक से यह अनुरोध किया जाए कि वे इन्वेंट्री मूल्यांकन के उद्देश्य से उनकी उपस्थिति में लॉकर खोले और वस्तुओं को उसी लॉकर में वापस रखें। एक बार मूल्यांकन आ जाने के बाद, इन्वेंट्री के आधार पर, शाखा मंजूरी के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

ए) इसके बाद, यदि मूल्यांकन रु. 100000/- या उससे कम (प्रारंभिक सीमा के भीतर) है तो दावे का निपटान जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण/कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार का पता लगाने और क्षतिपूर्ति पत्र प्राप्त करने के बाद किया जाएगा ।कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादित अनुबंध SL-23 के अनुसार सह-शपथ पत्र। जमाकर्ता की मृत्यु के तथ्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों के विवरण का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच करने की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।

बी) रुपये की सीमा से ऊपर है । 100000/- तो जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण / कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का पता लगाने के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने होंगे -

अनुलग्नक - एसएल-27 के अनुसार पर्याप्त मूल्य की दो जमानतदारों के साथ सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित **क्षतिपूर्ति पत्र**
अनुबंध एसएल-28 के अनुसार सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत नोटरीकृत **शपथ पर घोषणा**

सी) लॉकर किराए पर लेने वालों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, जीवित किराएदार (ओं) और मृतक किराएदार के कानूनी उत्तराधिकारियों या उनके द्वारा अधिदेशित व्यक्ति) को लॉकर तक पहुंचने और सामग्री निकालने की अनुमति दी जाएगी। कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार के सत्यापन और लॉकर किराए पर लेने वाले की मृत्यु के प्रमाण पर।

डी) दोनों/सभी संयुक्त लॉकर किराएदारों की मृत्यु की स्थिति में, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से उनमें से किसी एक) को लॉकर तक पहुंचने और कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार के सत्यापन पर सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी और लॉकर किराए पर लेने वालों की मृत्यु का प्रमाण।

सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री को हटाने के लिए जीवित किरायेदार और अनिवार्य कानूनी उत्तराधिकारी को अनुमति देने से पहले, बैंक जीवित किरायेदार की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची (अनुलग्नक एसएल -18 ए देखें) तैयार करेगा। कानूनी उत्तराधिकारी और दो स्वतंत्र गवाह ।

सी. लॉकर धारक की वसीयतकर्ता यानी वसीयत छोड़कर मृत्यु हो गई और कोडिसिल-

सीओ: ओपीआर: 2002-03:47: दिनांक 29.05.2002
सीओ: ओपीआर: 2005-06:136: दिनांक 30.12.2005
परिपत्र सीओ: ओपीआर: 2005-06:155 दिनांक 20.02.2006 द्वारा संशोधित
निर्देश परिपत्र क्रमांक 2672 दिनांक 25.05.2021, मृतक दावा नीति
जहां मृत लॉकर धारक की मृत्यु वसीयत करते हुए हो गई हो यानी अपने पीछे एक वसीयत और कोडिसिल छोड़कर, शाखा नीचे उल्लिखित दस्तावेज/प्रक्रिया प्राप्त करने/पालन करने के बाद लॉकर की सामग्री वितरित कर सकती है -

ए) शाखा रिकॉर्ड के लिए वसीयत की प्रमाणित सच्ची प्रति प्राप्त की जाएगी।

बी) इसके अतिरिक्त वसीयत के विरुद्ध प्रोबेट भी सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोबेट से संबंधित कानून पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं है। अत: इस प्रकार के मामलों के निपटारे के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात कानून संबंधित/विधि अधिकारी से राय ली जा सकती है।

को अदा -

i. सभी निष्पादक संयुक्त रूप से और निष्पादक/ओं की अनुपस्थिति में वसीयत और कोडिसिल के सभी वसीयतकर्ताओं (संयुक्त रूप से) को मूल वसीयत और कोडिसिल (आश्वासन रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित) की प्रमाणित प्रति के शाखा रिकॉर्ड के उत्पादन और रखरखाव पर। कोडिसिल और वसीयत को भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आश्वासनों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया है या वसीयत और कोडिसिल को एक सीलबंद लिफाफे में जमा किया गया है, जो कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद, वसीयतकर्ता की सामग्री का कारण बनता है। सीलबंद लिफाफे को उसकी पुस्तक संख्या 3 में कॉपी किया जाएगा,

ii. सभी निष्पादक संयुक्त रूप से और वसीयत और कोडिसिल के सभी वसीयतकर्ताओं (संयुक्त रूप से) के निष्पादकों की अनुपस्थिति में, मूल वसीयत और कोडिसिल (नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित) की प्रमाणित प्रति के शाखा रिकॉर्ड के उत्पादन और रखरखाव पर यदि कोडिसिल और भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के साथ पंजीकृत नहीं किया गया होगा

iii. सभी निष्पादक संयुक्त रूप से और वसीयत और कोडिसिल के सभी वसीयतकर्ताओं (संयुक्त रूप से) के निष्पादकों की अनुपस्थिति में, मूल वसीयत और कोडिसिल (भारतीय कौंसल द्वारा प्रमाणित/प्रमाणित) की प्रमाणित प्रति के शाखा रिकॉर्ड के उत्पादन और रखरखाव पर उप-वाणिज्यदूत या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि) यदि वसीयत और कोडिसिल भारत के बाहर निष्पादित की गई है, और

iv. या केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणीकरण / प्रमाणीकरण के अलावा। जैसा भी मामला हो, संबंधित शाखाओं को मूल वसीयत और कोडिसिल की तुलना वसीयत और कोडिसिल की नोटरीकृत/प्रमाणित/प्रमाणित सत्य प्रति से

करनी होगी और तदनुसार वसीयत और कोडिसिल की नोटरीकृत/प्रमाणित/प्रमाणित सत्य प्रति पर टिप्पणी करनी होगी और तदनुसार ऐसी प्रति की तुलना और शुद्धता के बारे में नोटरीकृत/प्रमाणित/प्रमाणित सच्ची प्रति पर टिप्पणी करें और शाखा रिकॉर्ड के प्रयोजन के लिए वसीयत और कोडिसिल की ऐसी नोटरीकृत/प्रमाणित/प्रमाणीकृत सच्ची प्रति को अपने पास रखकर मूल वसीयत और कोडिसिल को वापस कर दें।

बशर्ते कि यदि निष्पादकों/वसीयतकर्ताओं के नियंत्रण से परे कारणों से (अर्थात एक से अधिक नोटरी पब्लिक द्वारा मूल वसीयत या कोडिसिल की प्रमाणित सत्य प्रति जारी करने से इनकार करने के कारण), तो वे वसीयत की मूल की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और नोटरी पब्लिक से कोडिसिल तो संबंधित शाखा प्रबंधक स्वयं मूल वसीयत और कोडिसिल को उसकी प्रति के साथ सत्यापित कर सकता है और ऐसी प्रति की तुलना और शुद्धता के बारे में टिप्पणी कर सकता है और वसीयत और कोडिसिल की ऐसी प्रति को प्रयोजनों के लिए अपने पास रखकर मूल वसीयत और कोडिसिल को वापस कर सकता है। शाखा के रिकार्ड-

ए) फॉर्म सीडी-16 को निष्पादकों और उन सभी लाभार्थियों द्वारा निष्पादित किया जाना है जो वयस्क हो गए हैं और अनुबंध करने में सक्षम हैं। (अनुलग्नक एसएल-24)

बी) सभी निष्पादकों, पर्याप्त मूल्य के दो स्वतंत्र व्यक्तियों के साथ अनुबंध करने में सक्षम लाभार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग बैंकों के पक्ष में निष्पादित क्षतिपूर्ति पत्र। (अनुलग्नक एसएल -25)

सी) मृतक की वसीयत के गवाहों को शपथ पत्र देकर प्रमाणित करना। (अनुलग्नकएसएल-26)

डी. <u>लापता लॉकरधारकों के संबंध में दावे:</u>

I. <u>कानूनी स्थिति</u>

लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। धारा 107 निरंतरता की धारणा से संबंधित है और धारा 108 मृत्यु की धारणा से संबंधित है । ***उक्त अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, मृत्यु का अनुमान उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद ही लगाया जा सकता है*** । इस प्रकार, नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारियों को एक सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के तहत ग्राहक की मृत्यु का स्पष्ट अनुमान लगाना होगा। यदि अदालत यह मान लेती है कि वह मर चुका है, तो लापता व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटारा किया जा सकता है, जैसा कि किसी अन्य मृत व्यक्ति के खातों के लिए किया जाता है ।

II. आम व्यक्ति को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं को अपनाना

मृत्यु की परिकल्पना के संबंध में अदालत का आदेश प्राप्त करना एक आम व्यक्ति के लिए महंगा और समय लेने वाला साबित हो सकता है। इसलिए, आरबीआई ने सुझाव दिया है कि बैंक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा तय की जाने वाली सीमा तक ऐसे दावों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। इसलिए शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे लापता व्यक्तियों के दावों को निपटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं, जब दावा अदालत के आदेश की प्राप्ति से पहले यानी उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात साल की समाप्ति से पहले किया जाता है।

रु. 100000/- की सीमा के भीतर के दावों के लिए

निम्न के अलावा किसी अन्य दस्तावेज़ के उत्पादन पर जोर दिए बिना सीमा-सीमा के भीतर दावे का निपटारा किया जाना चाहिए :

- किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु एफ.आई.आर
- पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी की गई गैर-पता लगाने योग्य रिपोर्ट क्षतिपूर्ति सह
- शपथ पत्र

रु. 100000/- की सीमा से ऊपर का दावा

प्रारंभिक सीमा से ऊपर के दावे का निपटान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किया जाना चाहिए:

- किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु एफ.आई.आर
- पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी की गई गैर-पता लगाने योग्य रिपोर्ट
- पर्याप्त मूल्य की दो जमानतों के साथ क्षतिपूर्ति पत्र। विधिवत नोटरीकृत शपथ पर घोषणा।
- लाख या उससे अधिक की राशि के दावों के मामले में समाचार पत्र में प्रकाशन अनिवार्य है

लापता लॉकर धारकों के लिए अनुलग्नक एसएल-22, एसएल-23, एसएल-24, एसएल-27 और एसएल-28 को उचित रूप से बदला जा सकता है)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित हिरासत में छोड़े गए दिल के टुकड़े और लॉकरों की सामग्री वास्तविक नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी गई है, साथ ही मृत्यु के प्रमाण को सत्यापित करने के लिए भी।

दावों के निपटान के लिए समय सीमा: शाखा मृतक लॉकर किरायेदारों के संबंध में दावों का निपटान करेगी और लॉकर की सामग्री को उत्तरजीवी/नामितों को, जैसा भी मामला हो, 15 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर जारी **करेगी** । दावे की प्राप्ति की तारीख, बैंक की संतुष्टि के लिए, जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने और नामांकन के संदर्भ में दावेदार (ओं) की उपयुक्त पहचान के अधीन है।

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को एक रिपोर्ट उचित अंतराल पर, निरंतर आधार पर, मृत लॉकर-किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं से संबंधित प्राप्त दावों

की संख्या और निर्धारित अवधि से परे लंबित दावों की संख्या का विवरण देना होगा। , इसके कारणों सहित। बैंकों के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति दावों के निपटान की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी कि दावों का निपटारा यथाशीघ्र किया जाए, जब तक कि अदालतों के समक्ष कोई मुकदमा लंबित न हो या नामांकन के संदर्भ में सच्चे दावेदार की पहचान करने में कोई कठिनाई न हो रही हो।

5.3 सुरक्षित जमा लॉकरों में वस्तुओं तक पहुंच/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं की वापसी

यदि एकमात्र लॉकर किराए पर लेने वाला किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, लॉकर में सामग्री प्राप्त करने के लिए उसे नामांकित करता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद और ऐसे व्यक्ति की पहचान और वास्तविकता को संतुष्ट करने के बाद, बैंक ऐसे नामांकित व्यक्ति को लॉकर तक पहुंच प्रदान करेंगे। निर्धारित तरीके से एक सूची लेने के बाद, लॉकर की सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता के साथ। यदि लॉकर को संयुक्त हस्ताक्षरों के तहत संचालित करने के निर्देशों के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था, और लॉकर किराए पर लेने वाला किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करता है, तो लॉकर किराए पर लेने वालों में से किसी की मृत्यु की स्थिति में, बैंक पहुंच प्रदान करेगा। निर्धारित तरीके से सूची लेने के बाद लॉकर और सामग्री को उत्तरजीवी और नामांकित व्यक्ति को संयुक्त रूप से हटाने की स्वतंत्रता। यदि लॉकर को उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया था और किरायेदारों ने निर्देश दिया था कि लॉकर तक पहुंच "दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी", "किसी को या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या किसी अन्य उत्तरजीविता खंड के अनुसार दी जानी चाहिए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, शाखा एक या अधिक संयुक्त लॉकर-किराएदारों की मृत्यु की स्थिति में आदेश का पालन करेगी। (फॉर्म एसएल-18ए, एसएल-1-, एसएल-22 देखें)

हालाँकि, शाखा नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी को सामग्री तक पहुँच देने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी :

(i) उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्राप्त करके उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति की पहचान और लॉकर किराए पर लेने वाले की मृत्यु के तथ्य को स्थापित करने में उचित देखभाल और सावधानी बरतें;

(ii) यह पता लगाने के लिए परिश्रमपूर्वक प्रयास करें कि क्या न्यायालयों/मंचों से मृतक के लॉकर तक पहुंच देने से रोकने वाला कोई आदेश या निर्देश है; और

(iii) उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्तियों को यह स्पष्ट कर दें कि लॉकर में मौजूद वस्तुओं/सुरक्षित हिरासत की वस्तुओं तक पहुंच उन्हें केवल मृत लॉकर किराएदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में दी जाती है, अर्थात, उन्हें दी गई ऐसी पहुंच किसी भी व्यक्ति के उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो उस उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है जिसे पहुंच प्रदान की गई है।

शाखा की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं की वापसी के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि, जब किसी नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से लॉकर की सामग्री को हटाने की मांग की जाती है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए, जो कानून के अनुसार, ऐसे नाबालिग की ओर से सामान प्राप्त करने में सक्षम है। इसके अलावा, शाखा दो स्वतंत्र गवाहों, शाखा/बैंक के एक अधिकारी, जो लॉकर सुविधा या वस्तुओं की सुरक्षित जमा राशि से जुड़ा नहीं है और दावेदार (दावेदारों) की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगी। किसी नाबालिग की ओर से नामांकित व्यक्ति या लेख प्राप्त करने वाला व्यक्ति।

शाखा को नामांकित व्यक्ति (दावेदार) या नाबालिग की ओर से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से एक अलग बयान प्राप्त करना होगा कि सभी सामग्री लॉकर में या शाखा की सुरक्षित हिरासत में है । मामला हो सकता है, प्राप्त हो और लॉकर खाली हो और उन्हें मानदंडों के अनुसार किसी अन्य ग्राहक को लॉकर आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मृत लॉकर किराएदार/जमाकर्ता के उत्तरजीवी/नामितियों को सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री तक पहुंच प्रदान करते समय, बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट इत्यादि के उत्पादन पर जोर देने से बच सकते हैं, या कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरजीवी/नामितों से क्षतिपूर्ति या ज़मानत का बांड, जब तक कि नामांकन में कोई विसंगति न हो। इस संबंध में, शाखा नामांकित व्यक्ति/उत्तरजीवी को सामग्री तक पहुंच देने से पहले निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त पैरा के तहत हमारे निर्देशों पर ध्यान देगी:

ऐसे मामले में जहां मृत लॉकर किराएदार ने कोई नामांकन नहीं किया था या जहां संयुक्त किराएदारों ने कोई आदेश नहीं दिया था कि स्पष्ट उत्तरजीविता खंड द्वारा एक या अधिक बचे लोगों को पहुंच दी जा सकती है, शाखा सुविधा के लिए मृतक दावा नीति अपनाएगी।
बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए मृत लॉकर किराएदार के कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधि तक पहुंचने के लिये भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय VI - लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

6.1

विधिक स्थिति

लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। धारा 107 निरंतरता की धारणा से संबंधित है और धारा 108 मृत्यु की धारणा से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, मृत्यु का अनुमान उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार, नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारियों को एक सक्षम न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107/108 के तहत ग्राहक की मृत्यु का स्पष्ट अनुमान लगाना होगा। यदि अदालत यह मान लेती है कि वह मर चुका है, तो लापता व्यक्ति के संबंध में दावे का निपटारा किया जा सकता है, जैसा कि किसी अन्य मृत व्यक्ति के खातों के लिए किया जाता है।

6.2 आम जनता को असुविधा और अनुचित कठिनाई से बचाने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं को अपनाना

मृत्यु की परिकल्पना के संबंध में अदालत का आदेश प्राप्त करना एक आम व्यक्ति के लिए महंगा और समय लेने वाला साबित हो सकता है। इसलिए, आरबीआई ने सुझाव दिया है कि बैंक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा तय की जाने वाली सीमा तक ऐसे दावों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। इसलिए शाखाओं को सलाह दी जाती है कि वे लापता व्यक्तियों के दावों को निपटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं, जब दावा अदालत के आदेश की प्राप्ति से पहले यानी उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात साल की समाप्ति से पहले किया जाता है।

6.3 100000/- **रुपये की सीमा के दावे**

निम्नलिखित के अलावा किसी अन्य दस्तावेज़ के उत्पादन पर जोर दिए बिना प्रारंभिक सीमा के भीतर दावे का निपटान किया जाना चाहिए:

- किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु एफ.आई.आर
- पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी की गई गैर-पता लगाने योग्य रिपोर्ट
- क्षतिपूर्ति पत्र सह शपथ पत्र

6.4. रु. 100000/- की सीमा से का दावा

प्रारंभिक सीमा से ऊपर के दावे का निपटान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किया जाना चाहिए -

- किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु एफ.आई.आर
- पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी की गई गैर-पता लगाने योग्य रिपोर्ट
- पर्याप्त मूल्य की दो जमानतों के साथ क्षतिपूर्ति पत्र।
- विधिवत नोटरीकृत शपथ पर घोषणा।
- लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के दावों के मामले में समाचार पत्र में प्रकाशन अनिवार्य है ।

अध्याय VII-मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए जांच बिंदु हिसाब किताब

7.1 दस्तावेज़, जिन्हें दावा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

- जमाकर्ता (ओं) या किराएदार (ओं) की मृत्यु का प्रमाण

- नामांकित व्यक्तियों की पहचान का प्रमाण, जहां भी लागू हो, जैसे कि चुनाव आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि या बैंक को स्वीकार्य पहचान का कोई अन्य संतोषजनक प्रमाण या कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार का प्रमाण, जहां भी हो लागू.

7.2 शाखा को उचित दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति की पहचान और खाताधारक की मृत्यु के तथ्य को सुनिश्चित करने में उचित देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो शाखा का कोई भी अधिकारी ऐसे दावों की वास्तविकता के बारे में पूछताछ करने के लिए जमाकर्ताओं के स्थान पर जाएगा।

7.3 उत्तरजीवी/नामितियों को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उन्हें मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में बैंक से भुगतान प्राप्त होगा, यानी उन्हें ऐसा भुगतान प्रभावित नहीं करेगा/करेगी वह अधिकार या दावा जो किसी भी व्यक्ति का उस उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है जिसे भुगतान किया गया है।

7.4 यहाँ ध्यान दिया जाना चहिये कि उपरोक्त शर्तों के अधीन, उत्तरजीवी (ओं)/नामित (ओं) को किए गए भुगतान की राशि के बावजूद, बैंक की देनदारी का पूर्ण निर्वहन माना जाएगा। कानूनी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने पर जोर देना अनावश्यक और अनुचित है और यह केवल उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्तियों को परिहार्य असुविधा का कारण बनेगा। इसलिए, ऐसे मामले में, मृत जमाकर्ता के उत्तरजीवी/नामित (ओं) को भुगतान करते समय, शाखा को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट इत्यादि प्रस्तुत करने या क्षतिपूर्ति का कोई बांड प्राप्त करने पर जोर नहीं देना चाहिए। या मृत खाताधारक के खाते में मौजूद उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति से ज़मानत।

अध्याय VIII - अन्य महत्वपूर्ण पहलू

8.1. दावों के निपटान के लिए समय मानदंड

8.1.1 jबैंक मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान करेगा और उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति वाले खातों के मामले में उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को दावा
प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान जारी करेगा, बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु का सबूत प्रस्तुत किया जाए और बैंक की संतुष्टि के लिए दावेदार (ओं) की उपयुक्त पहचान की जाए।

8.1.2 उत्तरजीवी/नामांकित खंड के बिना खातों के मामले में, दावों का निपटान शाखा द्वारा सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति की
तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

8.1.3 जब उत्तराधिकार स्पष्ट नहीं है या विवादों के मामले में जहां सभी कानूनी उत्तराधिकारी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में शामिल नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रतिनिधित्व पत्र पर जोर दिया जाना चाहिए ।

8.2 मृत जमाकर्ता के मीयादी जमा खातों के मामले में ब्याज का भुगतान

- जमा की परिपक्कता की तारीख से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने और परिपक्कता की तारीख के बाद जमा राशि का दावा किए जाने की स्थिति में, शाखा परिपक्कता की तारीख तक अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगी। परिपक्कता की तारीख से भुगतान की तारीख तक, बैंक परिपक्कता की तारीख पर लागू दर पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज का भुगतान करेगा, जिसके लिए जमा परिपक्कता की तारीख के बाद बैंक के पास रहा।
- जमा की परिपक्कता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, बैंक परिपक्कता की तारीख से भुगतान की तारीख तक परिपक्कता की तारीख पर संचालित बचत दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

8.3. मीयादी जमा का विभाजन को

यदि, दावेदार /दावाकर्ताओं के अनुरोध पर, बैंक सावधि जमा राशि को विभाजित करने के लिए सहमत होता है और दावेदार के नाम पर व्यक्तिगत रूप से दो या अधिक रसीदें जारी करता है, तो इसे सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते जमा की अवधि और कुल राशि में कोई बदलाव न हो।

8.4. मृत जमाकर्ता के नाम पर प्राप्त होने वाली राशि का व्यवहार

जमा खाते के उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति को कठिनाई से बचाने के लिए, शाखाएं मृतक खाताधारक के नाम प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उत्तरजीवी /नामांकित व्यक्ति से उचित समझौता/प्राधिकार प्राप्त कर सकती हैं। इस संबंध में, शाखाएं निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों में से किसी एक को अपनाने पर विचार कर सकती हैं:

बैंक को किसी मृत खाताधारक के उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति द्वारा 'श्री ________, मृतक की संपत्ति' के रूप में एक खाता खोलने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जहां मृत खाताधारक के नाम पर प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कोई निकासी न की गई हो।

बैंक को उत्तरजीवी /नामांकित व्यक्ति द्वारा "खाताधारक मृत" टिप्पणी के साथ प्रेषक को प्राप्त होने वाली राशि वापस करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है और तदनुसार उत्तरजीवी / नामांकित व्यक्ति को सूचित किया जा सकता है। उत्तरजीवी/नामित/कानूनी उत्तराधिकारी प्रेषक से संपर्क कर सकते हैं ताकि निगोशिएबल लिखत के माध्यम से या उपयुक्त लाभार्थी के नाम पर ईसीएस हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान किया जा सके।

अध्याय IX - "वसीयत" मामले में दावे का निपटान

जहां मृतक की मृत्यु हो गई है, यानी उसे वसीयत और वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र छोड़ दिया गया है, बैंक नीचे उल्लिखित दस्तावेजों / प्रक्रिया को प्राप्त करने / पालन करने के बाद भुगतान कर सकता है:

9.1. वसीयत की प्रमाणित सच्ची प्रति बैंक रिकॉर्ड के लिए प्राप्त की जानी चाहिए ।

9.2. (i) वसीयत और कोडिसिल के सभी प्रतिनिधियों को [संयुक्त रूप से] भुगतान करें और निष्पादित कर्ता की अनुपस्थिति में मूल वसीयत और वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र [आश्वासन के रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित] की प्रमाणित प्रति के बैंक के रिकॉर्ड के लिए उत्पादन और रखरखाव पर भुगतान करें, यदि वसीयत और कोडिसिल को भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आश्वासन के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया है या वसीयत और वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार पत्र जमा किया गया है, एक सीलबंद लिफाफे में, आश्वासन के रजिस्ट्रार के साथ, जिन्होंने वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद, सीलबंद कवर की सामग्री को अपनी पुस्तक संख्या 3 में कॉपी किया है, (ii) यदि वसीयत और कोडिसिल को भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आश्वासन रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं किया गया है, तो वसीयत और कोडिसिल की प्रमाणित सच्ची प्रति के बैंक के रिकॉर्ड के उत्पादन और रखरखाव पर वसीयत और कोडिसिल के सभी उत्तराधिकारियों को [संयुक्त रूप से] और निष्पादित कर्ता की अनुपस्थिति में, यदि वसीयत और कोडिसिल को भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आश्वासन रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है, सभी निष्पादक [संयुक्त रूप से] और निष्पादक की अनुपस्थिति में वसीयत और कोडिसिल के सभी पदाधिकारियों को [संयुक्त रूप से] मूल वसीयत और कोडिसिल [भारत द्वारा प्रमाणित/प्रमाणित] की प्रमाणित सच्ची प्रति के बैंक के रिकॉर्ड के उत्पादन और रखरखाव पर

9.3. काउंसिल या उप-वाणिज्य दूत या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यदि वसीयत और कोडिसिल को भारत के बाहर निष्पादित किया गया है और (iv) खंडों में उल्लिखित मामलों में (अ) (ii) और (iii) उपर्युक्त में, नोटरी जनता/भारतीय महावाणिज्य दूत या उप महावाणिज्य दूत या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण/प्रमाणीकरण के अलावा, संबंधित शाखाओं को स्वयं भी मूल वसीयत और कोडिसिल की नोटरीकृत /प्रमाणित/प्रमाणित सच्ची प्रति के साथ तुलना करनी होगी और तदनुसार ऐसी तुलना और ऐसी प्रति की शुद्धता के बारे में नोटरीकृत /प्रमाणित/प्रमाणित सत्य प्रति पर टिप्पणी करनी होगी और मूल वसीयत और कोडिसिल को वापस करना होगा। बैंक के रिकॉर्ड के प्रयोजन के लिए वसीयत और कोडिसिल की ऐसी नोटरीकृत /प्रमाणित सच्ची प्रति को बनाए रखना।

9.4.बशर्ते कि निष्पादकों/वारिसों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अर्थात एक से अधिक नोटरी जनता द्वारा मूल वसीयत या कोडिसिल की प्रमाणित सच्ची प्रति जारी करने से इनकार करने के कारण] वे नोटरी जनता से वसीयत और कोडिसिल की मूल प्रति की प्रमाणित सच्ची प्रति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो संबंधित शाखा प्रबंधक स्वयं मूल वसीयत और कोडिसिल को उसकी प्रति के साथ

सत्यापित कर सकता है और ऐसी तुलना और शुद्धता के बारे में टिप्पणी कर सकता है। ऐसी प्रति को बैंक के रिकॉर्ड के प्रयोजनों के लिए वसीयत और कोडिसिल की ऐसी प्रति को बनाए रखते हुए मूल वसीयत और कोडिसिल को वापस करें।

अध्याय x - कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में कानून के प्रावधान

10.1. हिन्दू

- यदि मृतक एक हिंदू पुरुष है, तो यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या एक या अधिक वर्ग -1 कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

- वर्ग - I प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी: मां, विधवा, पुत्र, पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्र का पुत्र/पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्र का पुत्र/पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्र की विधवा, पूर्व-मृतक पुत्री की पुत्री/पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्री की पुत्री/पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्री के पुत्र/पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्री की पुत्री, पूर्व-मृतक पुत्र की पुत्री। सभी वर्ग-I कानूनी उत्तराधिकारी एक साथ किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी के बहिष्करण को लेते हैं और कोई भी दूसरे पर वरीयता नहीं लेता है।

- वर्ग - II द्वितीय श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को विभिन्न प्रविष्टियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रविष्टि-I से संबंधित कानूनी उत्तराधिकारियों को दूसरी प्रविष्टि के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और इसी तरह उत्तराधिकार में। लेकिन एक ही एंट्री में आने वाले इनमें से कोई वरीयता नहीं होती है और ये एक साथ अपना हिस्सा लेते हैं।

प्रविष्टि - I - पिता

प्रविष्टि - II - (क) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (ख) पुत्र की पुत्री की पुत्री (ग) पुत्री पुत्री का पुत्र, (घ) पुत्री की पुत्री (ड़) भाई और बहन।

प्रविष्टि - III - (ए) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (ख) पुत्र की पुत्री की पुत्री (ग) पुत्री पुत्री का पुत्र, (घ) पुत्री की पुत्री (ड़) भाई और बहन।

प्रविष्टि - IV भाई या बहन के बेटे / बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में देता है और कई अन्य।

यदि मृतक एक विवाहित हिंदू महिला है, जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी निम्नलिखित हैं : (क) पुत्र और पुत्रियाँ (किसी मृत पुत्र के बच्चों सहित) और पति (ख) पति के उत्तराधिकारी (ग) माता और पिता (घ) पिता के उत्तराधिकारी (ङ) माता के उत्तराधिकारी।

- यदि किसी हिंदू महिला की मृत्यु हो जाती है उसके पास बेटा / बेटी नहीं है, तो उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को

जाती है, जबकि यदि यह पति या सास-ससुर से विरासत में मिली है, तो पति के उत्तराधिकारी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।

10.2 ईसाई

जहां मृतक ईसाई है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।

- इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, पुरुष संपत्ति की विधवा संपत्ति का एक-तिहाई हिस्सा पाने की हकदार है, जबकि शेष दो-तिहाई समान शेयरों में वंशजों (यानी बेटे और बेटियों) को जाता है। यदि उसके पास कोई नहीं है, तो पूरी संपत्ति उसकी विधवा के पास चली जाती है।
- यदि पुरुष ने कोई वंशज नहीं छोड़ा है, तो एक आधा हिस्सा विधवा को जाता है और दूसरा आधा आत्मीय को जाता है (यानी पिता, माता, भाई, बहन)
- यदि किसी ईसाई महिला की मृत्यु हो जाती है, तो पति को भी वही अधिकार है।

10.3. मुसलमान

मुसलमानों के मामले में विरासत सुन्नी या शिया कानून द्वारा शासित होती है, जो उस संप्रदाय पर निर्भर करती है जिसमें वे संबंधित हैं।

सुन्नी कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों के वर्ग हैं:
साझाकरण - उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकारी

1. लग्न : पिता , सगे दादा, माता, सगी दादी
2. वंश : पुत्री, बेटे की बेटी
3. संपार्श्विक : पूर्ण/सजातीय बहन, एकोदर भाई/बहन
4. आत्मीयता से उत्तराधिकारी: पति, पत्नी

- लेकिन इन 12 शेयरधारकों को शर्तों के अधीन निश्चित शेयर विरासत में मिलेंगे। एक शेयरर को कई कारणों से बाहर रखा जा सकता है जैसे कि रक्त में निकटता एक वर्ग में दूरस्थ व्यक्ति को बाहर कर देगी। यदि किसी ईसाई महिला की मृत्यु हो जाती है, तो पति को भी वही अधिकार है।

10.4. : शेष वर्ग

• हिस्सेदारों को निश्चित हिस्सा आवंटित किए जाने के बाद शेष अवशेष अवशिष्ट पर विकसित हो रहा है:
• मृतक के बच्चे पुरुष या महिला, मृतक के बेटे, मृतक के पिता के, सच्चे दादा के पुरुष वंशज

बेटा हमेशा एक अवशिष्ट होता है। पुत्र के साथ पुत्री अवशिष्ट हो जाती है। इनमें से, वंशज अन्य सभी को बाहर करते हैं। लग्न के वंशजों और निकट लग्न के वंशजों को छोड़कर अन्य सभी को बाहर रखा गया है, जबकि दूरस्थ लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अवशिष्ट के प्रत्येक वर्ग में रक्त में दूरस्थ रक्त शामिल नहीं है। इनमें से विभाजन पुरुष को डबल शेयर के नियम के अनुसार होता है और यदि केवल एक लिंग है, तो समान रूप से विभाजित है।

साझाकारों और अवशिष्ट की अनुपस्थिति में, संपत्ति उसके अन्य रक्त संबंधों पर निर्भर करती है, यानी, दूर की ओर।

शिया कानून के अनुसार उत्तराधिकारी हैं

रक्तसंबंध के अनुसार उत्तराधिकारी I माता-पिता
बच्चे और वंशज

II (i) दादा-दादी (सही/गलत)
(ii) भाई या बहन और वंशज
III उसके या उसके माता-पिता और दादा-दादी के पैतृक या मामा

विवाह के द्वारा उत्तराधिकारी पत्नी, पति

रक्तसंबंधों द्वारा उत्तराधिकारियों और आत्मीयता से उत्तराधिकारियों को एक साथ सफलता मिलती है। उत्तराधिकारियों में, वर्ग 1 के लोग वर्ग 2 के लोगों को बाहर रखते हैं। वर्ग I के दो वर्गों में उत्तराधिकारी एक साथ सफल होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में, डिग्री में रिमोट को शामिल नहीं किया जाता है। बेटा हमेशा अवशिष्ट के रूप में लेता है।

जिस संस्थान से मृतक संबद्ध था, उसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित लेटरहेड में मुस्लिम जमात-ए-एथ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण उनकी उम्र के साथ दिया जाना चाहिए। पुरुष मृतक के मामले में, इस आशय के एक स्पष्ट प्रमाण पत्र पर जोर दिया जाना चाहिए कि मृतक ने सूची में नामित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य महिला से शादी नहीं की थी।

10.5. नाबालिग की रुचि और संरक्षकता

- जहां कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग है, उसका वैध अभिभावक उसके हित का प्रतिनिधित्व करेगा।

- हिंदुओं और ईसाइयों के लिए, नाबालिग का पिता प्राकृतिक अभिभावक होता है और उसके बाद मां। नाबालिग (हिंदू) की संरक्षकता के बारे में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहां तक कि मां भी पिता के जीवनकाल के दौरान भी एक प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है क्योंकि बच्चे का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- एक नाबालिग के लिए, जो एक मुस्लिम पिता है, फिर पिता की इच्छा से नियुक्त व्यक्ति, फिर पिता के पिता और फिर पिता के पिता द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्रम में अभिभावक होंगे।

विभिन्न पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों की एक सूची अनुलग्नक -9 में दी गई है।

अनुलग्नक-1

नामांकन नियमों में प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण

बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली 1985 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 ZA से 45 ZF के संदर्भ में तैयार किया गया है।

1. जमा खाता

(i) नामांकन सुविधा केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिनमें एकमात्र मालिकाना कंपनी भी शामिल है।

(ii) एकल/संयुक्त जमा खाते के संबंध में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं।

(iii) बैंक एक साथ कार्य करने वाले सभी जीवित जमाकर्ताओं द्वारा निर्वाह नामांकन में भिन्नता/निरस्तीकरण की अनुमति दे सकते हैं। यह उन जमाराशियों पर भी लागू होता है जिनमें परिचालन निर्देश "या तो या उत्तरजीवी" होते हैं।

(iv) यह ध्यान दिया जा सकता है कि संयुक्त जमा खाते के मामले में, नामांकित व्यक्ति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है।

2. सेफ जमा लॉकर

(i) एकल और संयुक्त रूप से किराए पर लिए गए लॉकरों के संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त नामों में लॉकरों के संबंध में नामांकन नियम केवल तभी लागू होते हैं जब लॉकर संयुक्त रूप से संचालित किए जाते हैं।

(ii) जहां लॉकरों को संयुक्त रूप से किराए पर लिया जाता है, किसी भी संयुक्त किराए पर लेने वाले की मृत्यु पर, लॉकर की सामग्री को केवल नामांकित व्यक्ति (ओं) और उत्तरजीवी (ओं) द्वारा संयुक्त रूप से हटाने की अनुमति दी जाती है, जब निर्धारित तरीके से इन्वेंट्री ली जाती है।ऐसे मामले में, इस तरह के निष्कासन के बाद एक इन्वेंट्री के बाद, नामांकित व्यक्ति और जीवित किरायेदार (ओं) अभी भी लॉकर किराए पर लेने के एक नए अनुबंध में प्रवेश करके, पूरी सामग्री को उसी बैंक के साथ रख सकते हैं, यदि वे चाहें।

(iii) बैंकों को लॉकर में पाए गए सील/बंद पैकेटों को नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति और जीवित किराए पर लेने वालों को जारी करते समय खोलने की आवश्यकता नहीं है। बंद पैकेट का विवरण हालांकि इन्वेंट्री में उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(iv) बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडई किसी नाबालिग को लॉकर की सामग्री की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए नामांकित होने से नहीं रोकती है। ऐसे मामलों में बैंकों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि जब नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से लॉकर की सामग्री को हटाने की मांग की जाती है, तो लेख एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिए जाते हैं, जो कानून में, नाबालिग की ओर से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सक्षम है

3. सुरक्षित अभिरक्षा लेख

(i) नामांकन सुविधा केवल व्यक्तिगत जमाकर्ता/एकमात्र मालिकाना कंपनी के मामले में उपलब्ध है, न कि सुरक्षित अभिरक्षा के लिए संयुक्त रूप से वस्तुएं जमा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में।

अनुलग्नक-1(क)

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान

तालिका -1: बचत और चालू जमा के लिए (नामांकन के साथ)

किसके नाम पर खाता परिचालन निर्देश नामांकित स्थिति क्या किया जाना है
ए स्वयं एक्स ए मृत ए नामांकन बदल सकता है।
ए स्वयं एक्स ए मृत एक्स को बकाया राशि प्राप्त होगी।
ए बी या तो या उत्तरजीवी एक्स ए मृत शेष बकाया राशि बी को देय होगी।
ए बी या तो या उत्तरजीवी एक्स बी मृत शेष बकाया राशि ए को देय होगी।
ए बी या तो या उत्तरजीवी एक्स ए और बी मृत एक्स को बकाया राशि प्राप्त होगी।
ए बी संयुक्त एक्स ए मृत बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय
ए बी संयुक्त एक्स बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय।
संयुक्त एक्स ए और बी मृत एक्स को देय

तालिका -2: बचत और चालू जमा के लिए (नामांकन के बिना)

के नाम पर खाते परिचालन निर्देश स्थिति क्या किया जाना है
ए स्वयं ए मृत बकाया कानूनी उत्तराधिकारियों या उनमें से किसी एक को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगा।
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए मृत बी को बकाया देय होगा।
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी बी मृत बकाया ए को देय होगा।
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए और बी मृत संयुक्त रूप से ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय (या उनमें से कोई भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य)।
ए, बी संयुक्त ए मृत बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय (या उनमें से कोई भी एक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य)।
ए, बी संयुक्त बी मृत संयुक्त रूप से ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय (या उनमें से कोई एक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य)।
ए, बी संयुक्त ए और बी मृत संयुक्त रूप से ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय (या उनमें से कोई भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य)।

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान
तालिका -3: समय जमा के लिए (नामांकन के साथ)

के नाम पर खाते परिचालन निर्देश स्थिति क्या किया जाना है के नाम पर खाते
ए स्वयं एक्स एक्स मृत ए नामांकन बदल सकता है.
ए स्वयं एक्स ए मृत को परिपक्वता से पहले और परिपक्वता के बाद बकाया राशि प्राप्त होगी।
ए , बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक्स ए मृत यदि विशेष अधिदेश लिया जाता है तो शेष बकाया राशि बी को देय होगी या बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय होगी
ए , बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक्स बी मृत यदि विशेष अधिदेश लिया जाता है तो शेष बकाया राशि आ को देय होगी या ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय होगी
ए , बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक्स ए और बी मृत एक्स को परिपक्वता से पहले या बाद में बकाया राशि प्राप्त होगी
ए , बी संयुक्त एक्स ए मृत परिपक्वता से पहले या बाद में बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय
ए , बी संयुक्त एक्स बी मृत परिपक्वता से पहले या बाद में संयुक्त रूप से ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय
ए , बी संयुक्त एक्स ए और बी मृत परिपक्वता से पहले या बाद में एक्स को देय।

तालिका - 4: टाइम डिपॉजिट के लिए (नामांकन के बिना)
जब खाता खोलने के फार्म के पृष्ठ -3 के अनुसार विशेष अधिदेश प्राप्त किया जाता है

के नाम पर खाते परिचालन निर्देश स्थिति परिपक्वता से पहले देय परिपक्वता के बाद देय
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी दोनों जीवित हैं मांग के अनुसार ए या बी मांग के अनुसार ए या बी
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक मर चुका है (ए ने कहा)। बी को देय बी को देय
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी दोनों जीवित हैं ए को देय केवल ए को देय
ए, बी पूर्व या उत्तरजीवी एक मर चुका है (ए या बी कहें) ए को देय (यदि बी मर चुका है) और बी (यदि ए मर चुका है) यानी उत्तरजीवी को देय है। ए (यदि बी मर चुका है) या बी (यदि ए मर चुका है) यानी उत्तरजीवी को देय.

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान
तालिका- 4 (ए): टाइम डिपॉजिट के लिए (नामांकन के बिना)

खाता खोलने के फार्म के पृष्ठ -3 के अनुसार जब विशेष अधिदेश प्राप्त नहीं किया गया है/नहीं दिया गया है

के नाम पर खाता परिचालन निर्देश स्थिति परिपक्वता से पहले देय परिपक्वता के बाद देय

ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी दोनों जीवित हैं ए और बी द्वारा संयुक्त निर्वहन के बाद ही देय ए या बी मांग के अनुसार

ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक मृत (ए ने कहा) बी (उत्तरजीवी) और ए के कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) को संयुक्त रूप से देय बी को देय

ए, बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी दोनों जीवित हैं A और B द्वारा संयुक्त निर्वहन के बाद ही देय केवल ए को देय

ए, बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी एक मृत (ए ने कहा) केवल बी (उत्तरजीवी) और ए के कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) के संयुक्त निर्वहन पर देय बी को देय (उत्तरजीवी)

तालिका -5: लॉकर (नामांकन के साथ)

के नाम पर लॉकर परिचालन निर्देश नामांकित स्थिति क्या किया जाना है

ए स्वयं एक्स एक्स मृत ए नामांकन बदल सकता है.

ए स्वयं एक्स ए मृत एक्स को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।.

ए, बी E/S एक्स ए मृत बी को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी E/S एक्स बी मृत ए को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी E/S एक्स ए और बी मृत एक्स को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स ए मर मृत बी और एक्स को लॉकर खोलने एवं संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स बी मृत ए और एक्स को खोलने एवं संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स ए और बी मृत एक्स को लॉकर खोलने एवं सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स एवं वाई ए मृत एक्स और वाई के साथ बी को भी लॉकर खोलने एवं संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स एवं वाई बी मृत एक्स और वाई के साथ ए को भी लॉकर खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स एवं वाई ए और बी मृत एक्स और वाई को संयुक्त रूप से लॉकर तक पहुंच एवं सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान

तालिका -6: लॉकर (नामांकन के बिना)

के नाम पर लॉकर परिचालन निर्देश स्थिति क्या किया जाना है
ए स्वयं ए मृत ए या उनमें से किसी के द्वारा अनिवार्य कानूनी उत्तराधिकारी।
ए , बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए मृत बी को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी बी मृत ए को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए एवं बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी एक को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर तक पहुंच और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
ए, बी संयुक्त ए मृत बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से कोई भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर तक पहुंच और सामग्री को संयुक्त रूप से हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
ए, बी संयुक्त बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से कोई भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर तक पहुंच और सामग्री को संयुक्त रूप से हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
ए, बी संयुक्त ए एवं बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी को भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर तक पहुंच और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।.

तालिका - 4: टाइम डिपॉजिट के लिए (नामांकन के बिना)

खाता खोलने के फार्म के पृष्ठ -3 के अनुसार जब विशेष अधिदेश प्राप्त किया जाता है

के नाम पर खाता परिचालन निर्देश स्थिति परिपक्कता से पहले देय परिपक्कता के बाद देय
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी दोनों जीवित है मांग के अनुसार ए या बी मांग के अनुसार ए या बी
ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक मृत है (ए ने कहा) बी को देयबी को देय
ए, बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी दोनों जीवित है ए को देय केवल ए को देय
ए, बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी एक मृत है (ए या बी ने कहा) ए को देय (यदि बी मर चुका है) और बी को देय (यदि ए मर चुका है) यानी उत्तरजीवी को देय. ए (यदि बी मर चुका है) या बी (यदि ए मर चुका है) यानी उत्तरजीवी को देय।

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान

तालिका- 4 (ए): टाइम डिपॉजिट के लिए (नामांकन के बिना)

खाता खोलने के फार्म के पृष्ठ -3 के अनुसार जब विशेष अधिदेश प्राप्त नहीं किया गया है/नहीं दिया गया है

के नाम पर खाता परिचालन निर्देश स्थिति परिपक्वता से पहले देय परिपक्वता के बाद देय

ए,बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी दोनों जीवित ए और बी द्वारा संयुक्त निर्वहन के बाद ही देय मांग के अनुसार ए या बी

ए,बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी एक मृत (ए ने कहा) बी (उत्तरजीवी) एवं ए के कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) को संयुक्त रूप से देय बी को देय

ए,बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी दोनों जीवित ए और बी द्वारा संयुक्त निर्वहन के बाद ही देय केवल ए को देय

ए,बी उत्तरजीवी या पूर्वजीवी एक मृत (ए ने कहा) केवल बी (उत्तरजीवी) एवं ए के कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) के संयुक्त निर्वहन पर देय बी (उत्तरजीवी) को देय

तालिका -5: लॉकर (नामांकन के साथ)

के नाम पर लॉकर परिचालन निर्देश नामांकित स्थिति क्या किया जाना है

ए स्वयं एक्स एक्स मृत ए नामांकन बदल सकता है.

ए स्वयं एक्स ए मृत एक्स को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी E/S एक्स ए मृत बी को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी E/S एक्स बी मृत ए को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी E/S एक्स ए एवं बी मृत एक्स को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स ए मृत बी और एक्स को लॉकर खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स बी मृत ए और एक्स को लॉकर खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए,बी संयुक्त एक्स ए एवं बी मृत एक्स को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए ,बी संयुक्त एक्स एवं वाई ए मृत एक्स और वाई के साथ बी को भी लॉकर खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी संयुक्त एक्स एवं वाई बी मृत एक्स और वाई के साथ ए को लॉकर को खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी संयुक्त एक्स एवं वाई ए और बी मृत एक्स और वाई को संयुक्त रूप से लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों का निपटान

तालिका -6: लॉकर (नामांकन के बिना)

के नाम पर लॉकर परिचालन निर्देश स्थिति क्या किया जाना है

ए स्वयं ए मृत ए या उनमें से किसी के द्वारा अनिवार्य कानूनी उत्तराधिकारी।

ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए मृत बी को लॉकर को खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी बी मृत ए को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ए एवं बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी एक को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी संयुक्त ए मृत बी और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से कोई भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर खोलने और सामग्री को संयुक्त रूप से हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी संयुक्त बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी को भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर खोलने और संयुक्त रूप से सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

ए, बी संयुक्त ए एवं बी मृत ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या उनमें से किसी को भी सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य) को लॉकर खोलने और सामग्री को हटाने की स्वतंत्रता दी जाएगी।.

अनुलग्नक- 2

मृतक जमाकर्ताओं के दावों का निपटान

दस्तावेज़ों की जांच-सूची

दावा

प्राप्त दस्तावेज़: हाँ/नहीं

1. नामांकन खंड युक्त खाते:

(i) नामांकित व्यक्ति/नामांकित व्यक्ति के संरक्षक से मृतक दावे हेतु आवेदन (अनुलग्नक-3)

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (मूल से सत्यापित)

(iii) पहचान का साक्ष्य (जैसा कि भाग-5 में परिभाषित है)

2. किसी एक या उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते:

(i) उत्तरजीवी/ओं से मृतक दावे हेतु आवेदन (अनुलग्नक-3)

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (मूल से सत्यापित)

3. उत्तरजीवी खंड के साथ नामांकन/संयुक्त खाते के अलावा अन्य मामलों हेतु: (अधिकतम सीमा तक की राशि हेतु)

(i) मृतक के दावे के लिए आवेदन (अनुलग्नक-4)

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

(iii) दावेदार(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति पत्र (अनुलग्नक-5)

4. नामांकन/उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते के अलावा अन्य मामलों के लिए:

(सीमा से ऊपर की राशि के लिए)

(i) मृतक दावे के लिए आवेदन (अनुलग्नक-4क)

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

(iii) दावेदारों/ओं तथा ज़मानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति पत्र (अनुलग्नक-5क)

(iv) शपथ घोषणा (अनुलग्नक-5ख)

5. रसीद (अनुलग्नक-6)

अनुलग्नक - 3

जमा/सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मृतक दावे हेतु आवेदन
(इसका उपयोग तब किया जाए जब खाते में नामांकन हो या उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाता हो)

द्वारा,

____
____
____

सेवा में
शाखा प्रबंधक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
____________ शाखा

प्रिय महोदय,

विषय : मृतक खाता स्वर्गीय श्री /श्रीमती. ____ खाता संख्या

क. नामांकन के मामले में

मैं, ____________________________________ श्री __________________________________ का पुत्र/पुत्री ____ _________________________ पर रहता हूँ/रहती हूं.

(i) उपरोक्त खातों में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति

(ii) श्री/सुश्री की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति ____ _____________________ जो उपरोक्त खाते(खातों) में नामांकित व्यक्ति है और दावे की तिथि के अनुसार नाबालिग है।

कृपया खाते में शेष राशि का नामिती के पक्ष में निपटान करें। मैं/हम मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं।

ख. संयुक्त खाते के मामले में

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मृतक व्यक्ति का नाम हटा दें और उसी संचालन पद्धति के साथ मेरे/हमारे नाम पर खाता जारी रखें।

मैं/हम मूल दस्तावेज़ों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी जमा करते हैं। कृपया सत्यापन के बाद मूल प्रति हमें लौटा दें।

___________________________________ द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण (नामांकन मामलों में आवश्यक) ____________________________________

स्थान : भवदीय,

दिनांक : {दावेदार(ओं)}

अनुलग्नक-4

मृतक दावे के लिए आवेदन- अधिकतम सीमा तक
(उत्तरजीवी खंड के बिना नामांकन/संयुक्त खाते के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रयोग हेतु)

द्वारा,

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

सेवा में,
शाखा प्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा
. . . .

विषय: मृतक खाता स्वर्गीय श्री / श्रीमती. . . . .
खाता संख्या. . . . .

मै/हम श्री /श्रीमती के दिनांक .... को हुए निधन की सूचना प्रदान करते है उनका आपकी शाखा में उपरोक्त वर्णित खाता है जो कि.. के साथ एकल/संयुक्त नाम में है।

मैं/हम उपरोक्त नामित मृतक के खाते में जमा ब्याज सहित शेष राशि के बैंक के नियमों और विवेकानुसार भुगतान हेतु अपना/हमारा दावा प्रस्तुत करते हैं. मृतक और उसके विधिक उत्तराधिकारियों के बारे में सम्बंधित जानकारी निम्नानुसार है:

1. मृतक के माता-पिता का पूरा नाम:

पिता . . . .
. . . .
माता . . . .
. . . .

2. मृतक का धर्म: . . . .
. . . . .
3. जीवित व्यक्तियों का विवरण (i) पति (ii) पत्नी (iii) बच्चे (iv) पिता (v) माता (vi) भाई (vii) बहनें (viii) पोते-पोतियां। यदि हिंदू संयुक्त परिवार है, तो कर्ता का नाम और पता :
4. सहदायी एवं उनकी आयु

क्रमांक।	नाम पता	व्यवसाय	मृतक के साथ संबंध	आयु
1				
2				
3				
4				
5				
6				

4. जमाकर्ता(ओं) की अवयस्क संतान/ओं के संरक्षक(ओं) का नाम
(क) क्या प्राकृतिक संरक्षक है
(ख) क्या संरक्षक को भारत में न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। यदि हां, तो ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति या विधिवत सत्यापित प्रति संलग्न करें
(ग) नाबालिग किसकी अभिरक्षा में है/हैं

5. दावेदार/ओं का पूरा नाम और पता

(i) . . . .
. . . .
(ii) . . . .
. . . . (iii) . . . .
. . . .

मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं। कृपया सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण की मूल प्रति पत्र हमें लौटा दें।

1. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल + 1 छायाप्रति) .... द्वारा जारी किया गया
2. क्षतिपूर्ति का पत्र

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त नामित मृतक के खाते में पड़ी शेष राशि का भुगतान करें। . . . .
. . . .
मेरी/हमारी ओर से.

मैं/हम सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त वर्णित कथन/विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

जगह :
आपका विश्वासी
तारीख :

दावेदार/ओं के हस्ताक्षर

क्रमांक	दावेदार का नाम	पता	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			

अनुलग्नक – 5

शपथ पत्र सह क्षतिपूर्ति पत्र (अधिकतम सीमा हेतु)

मृतक जमाकर्ता के खातों में शेष राशि के भुगतान/सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के सुपुर्दी के सम्बंध में

(शपथपत्र और क्षतिपूर्ति बंधहेतु देय शुल्क की स्टाम्प पर)

मैं/हम, श्री / श्रीमती /सुश्री . . . .
पुत्र/पुत्री . . . . आयु. . . . . वर्ष .... पता . . . . एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार घोषित करता हूं।

1. मैं/हम श्री / श्रीमती /सुश्री .... (मृतक खाताधारक का नाम) के कानूनी उत्तराधिकारी हैं/हैं। और मृतक मेरा/हमारा (पिता/माता/पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री आदि) है

2. मैं/हम आगे सूचित करते हैं कि मैं/हम मृतक के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी हैं जो खाते में शेष जमा राशि/ लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई गहने/आभूषण और अन्य कीमती सामान का दावा करने के हकदार हैं: -

क्रमांक	नाम	आयु	मृतक से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			

3. मैं/हम आगे सूचित करते हैं कि मृतक का सेंट्ल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ....(इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा) का खाताधारक था जिसका खाता संख्या .... था (इसके बाद इसे "खाता" कहा जाएगा). मृतक की मृत्यु के समय इस खाते में ....रुपये जमा थे । जिसमें दिनांक (भुगतान की तारीख .... तक का ब्याज शामिल है। . . . .) राशि रु . . . . (राशि अब भुगतान की जा रही है)।

4. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हम मृतक के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी हैं, जो मृतक के खाते में बकाया राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

5. मै/हम ने बैंक से अनुरोध किया है कि मृतक से सम्बंधित खाते में ब्याज सहित जमा राशि को सभी विधिक उतराधिकारियों की ओर से एक विधिक उतराधिकारी श्री / श्रीमती / सुश्री को भुगतान करने हेतु अनुरोध किया है।

अथवा

मै/हम बैंक से अनुरोध करते है कि सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं को श्री / श्रीमती /सुश्री को सुपुर्द दिया जाए।

6. मैं/हम, जानते हैं कि बैंक इस हलफनामे के आधार पर हमारे दावों का निपटान करने के लिए सहमत हो गया है और मृतक के खाते में जमा राशि के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के विरुद्ध
मैं/हम ऐसे भुगतान या सुरक्षित जमा लॉकर में रखी वस्तुओं की सामग्री की डिलीवरी के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत हैं/हैं।

7. मैं/हम अपने लिए/अपने लिए और मेरे/हमारे संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि बैंक, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति और उसके प्रबंधक, एजेंट, अधिकारी और नौकर और उनकी संबंधित संपत्ति और

प्रभाव हैं और समय-समय पर और इसके बाद हर समय सुरक्षित रखा जाएगा और इस तरह के भुगतान के संबंध में और उक्त भुगतान या सुरक्षित जमा लॉकर में रखी गई वस्तुओं की या सुरक्षित अभिरक्षा में रखी रखी गई सामग्री की सुपर्दगी के संबंध में सभी कार्यों, हानियों, लागत, शुल्कों, खर्चों और मांगों के विरुद्ध हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

यहां पहले दिए गए सभी कथन सत्य और सही हैं और . . . . का दिन . . . . .20 . को . . . . की उपस्थिति में . . . . मैं/हम, इस पर अपना/हमारे हस्ताक्षर/करते हैं।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर. (दावेदार/ओं)

शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए

अनुलग्नक 4क

मृतक के दावे के लिए आवेदन-अधिकतम सीमा से अधिक

प्रारूप संख्या सीडी-16 दिनांक :_

पता:

____

____

____

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

श्रीमान,

विषय: मृतक का पूरा नाम ____________________________

____

____

मुझे/हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि (श्री / श्रीमती / सुश्री) ____जिसका आपकी शाखा में खाता/लॉकर था, उसकी मृत्यु दिनांक .... को......................... (मृत्यु का स्थान) पर हो गई, उसकी मृत्यु के समय वह किस कानून(हिन्दू/मुस्लिम/ पारसी आदि)................................ से शासित था,पर लागू निर्वसीयत उत्तराधिकार के कानून के अनुसार उल्लिखित व्यक्तियों (निष्पादक का नाम) ....को एकमात्र जीवित कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पीछे छोड़ा है.

मैं/हम यहां आपके द्वारा अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहे है और मृतक की संपत्ति के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना, सुरक्षित अभिरक्षा खाते/लॉकर की सामग्री में शेष राशि/सामान को (हस्ताक्षरकर्ता का नाम जिसे भुगतान करना/सौंपना है) सौंपने के लिए आपको धन्यवाद देंगे।

1. खाते का पूरा शीर्षक :

2. खाते की प्रकृति अर्थात.
वर्तमान, गृह बचत,
सावधि जमा, एमएमडीसी आदि।
सुरक्षित अभिरक्षा, लॉकर के साथ
संख्याएँ :

3. जमा की देय तिथि :

4. दावा की गई राशि :

5.क . जमा के प्रमाणरूप में दस्तावेज़/
सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर, लॉकर की चाबी
(पासबुक, जमा रसीद आदि) :____________________________________

ख. दस्तावेज़/लॉकर कुंजी
दावेदार के कब्जे में है?
यदि नहीं, तो क्यों
और कहाँ है ?
:________________________________

6.क . क्या मृतक ने कोई वसीयत छोड़ी है?:

ग. मृतक की संपत्ति के सम्बंध में
क्या कोई प्रोबेट/पत्र,
प्रशासन या उत्तराधिकार
का प्रमाणपत्र
प्राप्त किया गया है? :

ग.
मृतक की संपत्ति के/के उत्तराधिकारी
निष्पादक/प्रशासक :

	नाम	व्यवसाय
i)	____________________________	______________________________________
ii)	______________________________	______________________________________
iii)	______________________________	______________________________________
iv)	______________________________	______________________________________

पता
____
____
____
____

7. पंजीकरण और रिटर्न के लिए संलग्न दस्तावेज:
(कृपया बैंक के रिकॉर्ड के लिए ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करें)

i) नगरपालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र :

ii)
मृतक की संपत्ति
कानूनी प्रतिनिधित्व
(ऊपर 6 (ख) देखें) :

iii) ______________________________

iv) ______________________________

8. जमाकर्ता का धर्म और जाति:__________________________________

9. जमाकर्ता/लॉकर धारक का स्थायी निवास

10. मृत्यु की तारीख और स्थान
:_______________________________

11. जीवित उत्तराधिकारियों पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता/भाई/बहन, साझेदारों के नाम और पते, का उनकी संबंधित उम्र के साथ विवरण। यदि हिन्दू अभिभाज्य परिवार है तो कर्ता एवं सहदायी गण का नाम और पते, का उनकी संबंधित उम्र के साथ विवरण.

	पूरा नाम/पता	मृतक के साथ संबंध	उम्र
क.			
ख .			
ग.			
घ .			
च .			
छ.			
ज.			

12. जमाकर्ता के नाबालिग बच्चों के संरक्षक का नाम:______________________________
____

क) क्या प्राकृतिक संरक्षक:

ख) क्या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक नियुक्त किया गया है

यदि हां, तो ऐसे आदेश की प्रतिलिपि या विधिवत सत्यापित प्रति प्रमाणित प्रति संलग्न करें

ग) अवयस्क किसकी अभिरक्षा में है/ हैं?
:____________________________

13. दावा की गई राशि /सुरक्षित जमा लॉकर में में रखा गया सामान/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया सामान मृतक की स्वयं अर्जित सम्पति/उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति है -------------------------

14. दावेदार का अपना नाम, वंशावली
जाति और पूरा पता :
क .
ख .
ग .

15. जमा राशि/ सामान पर दावेदार के स्वामित्व का प्रमाण : ______________________________

TEAM 8

16. दावेदार (ओं) का मृत जमाकर्ता से संबंध : ....

17. क्या कोई अन्य दावेदार हैं? : ....

यदि हां, तो उनके नाम, विवरण और दावे की प्रकृति :

18. निम्नलिखित दो व्यक्ति मृतक के सभी जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं। :

i) नाम:
पता:
व्यवसाय:
बैंकर का नाम:

ii) नाम:
पता:
व्यवसाय:
बैंकर का नाम:

मैं/हम सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं, कि उनमें से कोई भी या उनमें से कोई भी भाग गलत नहीं है और उसमें कुछ भी निरस्त नहीं किया गया है और मैं /हम मृतक के अनुबंध/उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि (ओं) के लिए एकमात्र सक्षम निष्पादक और लाभार्थी हैं और ऊपर उल्लिखित राशि /वस्तुओं और सुरक्षित अभिरक्षा खाते / लॉकर की सामग्री के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं है

आपका आज्ञाकारी,

दावेदार (ओं) के हस्ताक्षर

संलग्न: 1. पास बुक
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. अप्रयुक्त चेक

4. जमा रसीद
5. लॉकर की चाबी

अनुलग्नक 5ए
क्षतिपूर्ति पत्र (थ्रेशोल्ड सीमा से ऊपर)
मृतक के सभी प्रमुख कानूनी उत्तराधिकारियों और पर्याप्त मूल्य के दो जमानतदारों द्वारा निष्पादित किया जाना
....
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रिय महोदय,
संदर्भः खाता संख्या.. लॉकर संख्या..,

....
....के नाम पर
1. हमें आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि श्री/श्रीमती/कु.________________________________ जिनका उपरोक्त खाता संख्या.................... लॉकर संख्या....................... जो की आपकी ___ शाखा में एकल नाम से है की मृत्यु बिना वसीयत के .... तारीख को हो गयी है .
2. हमें आपको यह भी सूचित करना है कि वह निम्नलिखित को अपने एकमात्र उत्तराधिकारी और निकटतम रिश्तेदार के रूप में जीवित छोड़ गई है,
(उत्तराधिकारियों और परिजनों का नाम) :
3. हमें आपको यह भी सूचित करना है कि खाता संख्या____________________ के खाते में शेष राशि रु_____________/- है तथा सुरक्षित अभिरक्षा खाते संख्या .... में ऐसी वस्तुएं पड़ी हैं जो उक्त मृतक के नाम पर लॉकर संख्या _____________ की सामग्री है।
4. इसलिए हमने आपसे अनुरोध किया है कि खाता संख्या _______________ के खाते में पड़ी उपरोक्त राशि का भुगतान करें/ उपरोक्त लॉकर की सामग्री को अधोहस्ताक्षरी श्रीमती /श्री____ को सौंप दे .
(उस व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान करना है / सौंपना है)
(व्यक्ति केवल हस्ताक्षरकर्ताओं में से होना चाहिए)

हमारी ओर से कानूनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना और आप कृपया हमारे द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति को निष्पादित करने और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा करने और इसे सच मानने पर ऐसा करने के लिए सहमत हुए हैं।

5. इसलिए, हमारे अनुरोध पर आपके द्वारा उपरोक्त खाते के क्रेडिट में बकाया राशि का भुगतान करने/सुरक्षित अभिरक्षा खाते/लॉकर की सामग्री को अधोहस्ताक्षरी ____ को सौंपने पर सहमति व्यक्त की गई है।

(उसी व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान / हैंडओवर करना है)

______________________________ और

____

(उत्तराधिकारियों और परिजनों का नाम) (दो जमानतदारों के नाम)

________________इसके द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से सहमत हैं और क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति, बचाए जाने, बचाव, बचाव, हानिरहित रखने का वचन देते हैं और सभी नुकसान, लागत, दावों, कार्यों, मांगों, जोखिमों, शुल्कों, व्यय, क्षति आदि के खिलाफ हर समय प्रदान करते हैं, जो भी आपको भुगतना पड़ सकता है और या हमारे अनुरोध पर भुगतान करने / सौंपने के कारण हो सकता है।

________________(उसी व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान / हैंडओवर करना है)

उक्त सुरक्षित अभिरक्षा खाते/उक्त लॉकर की सामग्री में पड़े उपर्युक्त खाते/वस्तुओं के क्रेडिट में मौजूद रु.____________ की उपरोक्त शेष राशि कानूनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना।

आपका आज्ञाकारी

उत्तराधिकारियों का नाम और परिजनों के हस्ताक्षर

1. ____

2. ____

3. ____

4. ____

5. ____

जमानतदारों का नाम

1. ____
____

2. ____
____

अनुलग्नक 5बी

शपथ की घोषणा (थ्रेसहोल्ड सीमा से ऊपर)

हम,
श्री/श्रीमती__________________________________,___________________________
_____ ____ में रहते हैं, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और निम्नानुसार कहते हैं:

१. कि श्री/श्रीमती .____ के पति/पत्नी है

(मृतक का नाम)

उपरोक्त नाम के साक्षी श्री/श्रीमती ____ तथा.........................के पिता/माता की मृत्यु __ _________________________बिना वसीयत के हो चुकी है .

2. कि वह अपने पीछे निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़ देता है, जो उसके एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में रहता है, जो _____

(हिंदू, मुस्लिम, पारसी, आदि)

वह अपनी मृत्यु के समय शासित था:

उत्तराधिकारी का नाम पता व्यवसाय मृतक के साथ सम्बन्ध

क.

ख

ग

घ

3.उक्त (इसके बाद जब तक स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया जाता है या अन्यथा संक्षिप्तता के लिए "मृतक" कहा जाता है) खाता संख्या

.... लॉकर नं. ______________ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ______ शाखा में अपने एकल नाम पर है.

4. यह कि उसकी संपत्ति के लिए कोई प्रतिनिधित्व पत्र प्राप्त नहीं किया गया है या प्राप्त करने पर विचार नहीं किया गया है।

5. की रु_____________________ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मृतक को देय राशि है जो उपरोक्त खाते में बकाया राशि के रूप में खाते में है।

6. सुरक्षित अभिरक्षा खाते संख्या में _______________ मृतक के नाम पर बैंक के पास रु_______________________ के मूल्यांकन के साथ संलग्न सूची के अनुसार वस्तुएं रखी हुई हैं।

7. यह कि रु______________________ के मूल्यांकन के साथ संलग्न सूची के अनुसार मृतक के नाम पर लॉकर संख्या .... की सामग्री बैंक के पास रखी है.

8. यह कि मृतक ने कोई ऋण नहीं छोड़ा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उससे कोई राशि बकाया नहीं है और ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी ही उपरोक्त खाते में जमा राशि के हकदार है ही .... सुरक्षित अभिरक्षा खाते में खाता/वस्तुएं/लॉकर की सामग्री और कोई अन्य व्यक्ति इसके या उसके किसी भी भाग का हकदार नहीं है।

9. हमें आगे कहना हैं कि हम जानते हैं कि उपरोक्त अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए और इसे सच मानते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि ____ के क्रेडिट में शेष राशि है. कानूनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना, सुरक्षित अभिरक्षा खाते/लॉकर की सामग्री को उपर्युक्त नामित व्यक्तियों को सौंपा जाए .

सत्यनिष्ठा से पुष्टि की गई)
उपरोक्त नामित अभिसाक्षी)
_____ के ________दिवस पर) की उपस्थिति में 20......

अनुलग्नक 6

प्राप्ति

.... रु की राशि (.... रु मात्र) बैंकर चेक संख्या द्वारा दिनांकित .... के .... पक्ष में शेष राशि .... पर उत्तराधिकारी के रूप में मेरे /हमारे दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में .... (खाता(ओं) संख्या(ओं) .... मृतक श्री/श्रीमती/कु .... के नाम पर है, ... शाखा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से धन्यवाद के साथ प्राप्त.

स्थान:

दिनांक:

(सभी

कानूनी उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर
राजस्व टिकट पर)

किसी अवयस्क के पक्ष में निधि का निपटान होने की स्थिति में घोषणा

मैं, ____ का पिता और ……………………………….. प्राकृतिक संरक्षक, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मृतक _________________खाता संख्या _________________________ में शेष राशि के निपटान में आपके द्वारा जारी किए गए आपके बैंकर चेक संख्या ____________ दिनांक _______________________ की आय …………………………………………..का उपयोग, केवल नाबालिग के लाभ के लिए किया जाएगा ।

(दावेदार के हस्ताक्षर

एक राजस्व टिकट पर)

अनुलग्नक 7
बैंकिंग कंपनी से किराए पर लिए गए सुरक्षा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45ZE (4))
(जहां नामांकन या उत्तरजीविता खंड है वहां उपयोग किया जाएगा)
सुरक्षा लॉकर संख्या _____________ की सामग्री की निम्नलिखित सूची ____ __________ की सुरक्षित जमा तिजोरी में स्थित है।
* श्री /श्रीमती द्वारा नियुक्त _______________________________________ _(मृतक) उसके एकमात्र नाम पर।
* श्री /श्रीमती द्वारा नियुक्त (i)_ ____(मृतक)
(ii)____ संयुक्त रूप से
(iii)____

दिन ____________ 20_______ को लिया गया था.

क्रमांक सुरक्षा लॉकर में वस्तुओं का विवरण अन्य पहचान संबंधी विवरण, यदि कोई हो

वस्तुस्थिति के प्रयोजन के लिए, लॉकर तक पहुंच नामांकित व्यक्ति/और जीवित वारिस को दी गई थी

- उनके निर्देशों के तहत लॉकर को तोड़कर।
- लॉकर की चाबी किसने प्रस्तुत की (जो भी लागू नहीं है उसे हटा दें)

1. उपरोक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई:

श्री /श्रीमती______________________________ (नामित)

____

(हस्ताक्षर)

पता________________________________

श्री /श्रीमती_______________________________ (नामित)

____

(हस्ताक्षर)

पता________________________________

और

श्री /श्रीमती_______________________________

____

संयुक्त वारिस के उत्तरजीवी (हस्ताक्षर)

पता________________________________

श्री /श्रीमती_______________________________

____

पता _______________________________ (हस्ताक्षर)

2. गवाह (हों) का नाम, पता और हस्ताक्षर के साथ:

* मैं, श्री /श्रीमती____ (नामांकित)

* हम, श्री /श्रीमती ____ _(नामांकित)

श्री /श्रीमती ____ और श्री /श्रीमती ____ संयुक्त वारिस के बचे हुए लोग, इसके द्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित सुरक्षा लॉकर की सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

श्री /श्रीमती

(उत्तरजीवी)

(नामांकित) श्री /श्रीमती

हस्ताक्षर ___________________________________ हस्ताक्षर
____

दिनांक एवं स्थान_____________________________________
श्री/श्रीमती
(उत्तरजीवी)
हस्ताक्षर ___________________________________
दिनांक स्थान_____________________________________

अनुलग्नक - 7 (क)

सुरक्षा लॉकर बैंकिंग कंपनी से किराए पर लिए गए
सामग्री की सूची का प्रपत्र
(इसका उपयोग वहां किया जाएगा जहां कोई नामांकन या उत्तरजीविता खंड नहीं है)

सुरक्षा लॉकर संख्या _______________ की सामग्री की निम्नलिखित सूची
____
____
__________ की सुरक्षित जमा तिजोरी में स्थित है।
* श्री /श्रीमती द्वारा नियुक्त____ _(मृतक) उसके एकल नाम पर।
* श्री /श्रीमती द्वारा नियुक्त (i)_
____(मृतक)
(ii)____ संयुक्त रूप से
(iii)____
दिन _____________ 20________ को लिया गया था.

क्रमांक सुरक्षा लॉकर में वस्तुओं का विवरण अन्य पहचान संबंधी विवरण, यदि कोई हो

इन्वेंट्री के प्रयोजन के लिए, लॉकर तक पहुंच कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अनिवार्य व्यक्ति और उसके जीवित रहने वाले व्यक्ति को दी गई थी।

- उनके निर्देशानुसार लॉकर तोड़कर।
- लॉकर की चाबी किसने बनाई (जो लागू न हो उसे हटा दें)

उपरोक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:

मृत संयुक्त वारिस(यों)/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी

उपरोक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:

मृत संयुक्त किराएदार(यों)/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी

1.

श्री/श्रीमती____

(हस्ताक्षर)

पता____

श्री/श्रीमती____

(हस्ताक्षर)

पता____

और

श्री/श्रीमती____

संयुक्त वारिसों के उत्तरजीवी

(हस्ताक्षर)

श्री/श्रीमती____

(हस्ताक्षर)

पता____

2.

गवाह (तों) का नाम, पता और हस्ताक्षर के साथ:

श्री/श्रीमती.
____
____

(हस्ताक्षर)
पता
____
____

श्री/श्रीमती____
___

(हस्ताक्षर)

पता____
___

पावती
*मैं, श्री /श्रीमती
कानूनी उत्तराधिकारी/जनादेश धारक

*हम, श्री /श्रीमती
____
____
____
कानूनी उत्तराधिकारी और

श्री /श्रीमती
____
____
____
_ जीवित वारिस

इसके द्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित सुरक्षा लॉकर की सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करते हैं।

श्री /श्रीमती.
____(कानूनी उत्तराधिकारी/जनादेश धारक)
श्री /श्रीमती_____________________________________ हस्ताक्षर
____
श्री /श्रीमती_____________________________________ हस्ताक्षर
____

श्री /श्रीमती______________________________ हस्ताक्षर
____
दिनांक एवं स्थान
(*जो लागू न हो उसे हटा दें)

अनुलग्नक - 8

बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा
बचे हुए लेखों की सूची का प्रपत्र
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45जेडसी(3))
(जहां नामांकन उत्तरजीविता खंड है वहां इसका उपयोग किया जाएगा)
सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए लेखों की निम्नलिखित सूची
____ शाखा के साथ, श्री /श्रीमती द्वारा _____________________ (मृतक) को एक समझौते/रसीद के तहत दिनांक ____ दिन _________20_____ को लिया गया था।

क्रमांक _ सुरक्षित अभिरक्षा में मौजूद वस्तुओं का विवरण अन्य पहचान संबंधी विवरण यदि कोई हो

उपरोक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:

1. श्री /श्रीमती. ____ _ (नामांकित)

श्री
/श्रीमती____
___

(नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से नियुक्त)

पता ____

पता

____
____

हस्ताक्षर

____

हस्ताक्षर

____

श्री /श्रीमती. ____
(नामांकित व्यक्ति/नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से नियुक्त) इसके द्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित वस्तुओं की प्राप्ति स्वीकार करता है।

श्री /श्रीमती.
____
_ (नामांकित)

हस्ताक्षर ____

दिनांक एवं स्थान____

श्री /श्रीमती. ____

(नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से नियुक्त)

हस्ताक्षर ____

दिनांक एवं स्थान________________________________

टिप्पणी :

यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं तक पहुंच जीवित व्यक्तियों/नामांकित व्यक्तियों को केवल सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं के मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में इस शर्त पर दी जाती है कि ऐसी पहुंच यदि उत्तरजीवी (ओं) को दी जाती है)/नामांकित व्यक्ति उस अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगा जो किसी भी व्यक्ति के उत्तरजीवी/नामांकित व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है, जिसे पहुंच प्रदान की गई है।

अनुलग्नक - 8(ए)
बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में
बचे हुए लेखों की सूची का प्रपत्र
(जहां नामांकन या उत्तरजीविता खंड है वहां उपयोग किया जाएगा)
सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़े गए लेखों की निम्नलिखित सूची ____ शाखा के साथ, श्री /श्रीमती द्वारा ____________________ (मृतक) को एक समझौते/रसीद के तहत दिनांक ____
दिन ________20____ को लिया गया था।
क्रमांक सुरक्षा लॉकर में वस्तुओं का विवरण अन्य पहचान संबंधी विवरण, यदि कोई हो

उपरोक्त सूची निम्नलिखित की उपस्थिति में ली गई थी:
कानूनी उत्तराधिकारी या कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित व्यक्ति:
1. श्री /श्रीमती____ ____________________________
पता_____________________________________ (हस्ताक्षर)
2. श्री /श्रीमती____ ____________________________

पता_____________________________________
(हस्ताक्षर)

इसके द्वारा उक्त सूची की एक प्रति के साथ उपरोक्त सूची में शामिल और निर्धारित सुरक्षा लॉकर की सामग्री की प्राप्ति स्वीकार करते हैं।
श्री /श्रीमती. ____
(कानूनी उत्तराधिकारी/जनादेश धारक)
श्री /श्रीमती_____________________________ हस्ताक्षर ____________________________________
श्री /श्रीमती_____________________________ हस्ताक्षर ____________________________________
श्री /श्रीमती_____________________________ हस्ताक्षर ____________________________________
दिनांक एवं स्थान
(*जो लागू न हो उसे हटा दें)

अनुलग्नक –
8

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत कानूनी उत्तराधिकारी

i) हिंदुओं

ए) एक हिंदू पुरुष के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. बेटा/बेटों
II. बेटी/बेटियां
III. पत्नी
IV. माँ
V. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे
VI. पूर्व मृत पुत्र की विधवा
VII. पूर्व मृत पोते-पोतियों के बच्चे

बी) एक हिंदू महिला के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. बेटा/बेटों
II. बेटी/बेटियां
III. पति
IV. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे

ii) मुसलमानों

ए) सुन्नी मुसलमान के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. बेटा/बेटों

II. बेटी/बेटियां
III. पत्नी
IV. माँ
V. जीवनसाथी (पति/पत्नी)

बी) शिया मुसलमान के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. जीवनसाथी (पति/पत्नी)
II. माँ
III. पिता
IV. बेटा/बेटों
V. बेटी/बेटियां

iii) ईसाइयों

ए) एक ईसाई के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. जीवनसाथी (पति/पत्नी)
II. बेटा/बेटों
III. बेटी/बेटियां

iv) पारसियों

ए) पारसी पुरुष के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. पत्नी (विधवा)
II. बेटा/बेटों
III. बेटी/बेटियां
IV. माँ
V. पिता
VI. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे

बी) पारसी महिला के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

I. पति
II. बेटा/बेटों
III. बेटी/बेटियां
IV. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे